

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय परिसर, शांतिपुरम् (सेक्टर-एफ), फाफामऊ

प्रयागराज – 211 021



॥सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्॥

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् के बैठक की कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	58
दिनांक	:	06-03-2019
समय	:	मध्याह्न: 12:00 बजे
स्थान	:	कमेटी कक्ष



उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

दिनांक 06-03-2019 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 58वीं

बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो. के.एन. सिंह, अध्यक्ष
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
2. प्रो. बी.एन. सिंह, सदस्य
पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज
3. डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे, सदस्य
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
5. डॉ. आर.पी.एस. यादव, सदस्य
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
6. डॉ. आशुतोष गुप्ता, सदस्य
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
7. प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल, सदस्य
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
8. प्रो. पी.के. पाण्डेय, सदस्य
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
8. प्रो. सुधांशु त्रिपाठी, सदस्य
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
9. डॉ. संतोषा कुमार, सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
10. डॉ. विनोद कुमार गुप्ता, सदस्य
उप निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
11. डॉ. अरुण कुमार गुप्ता, सदस्य-सचिव
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (01) डॉ. एस.पी. सिंह,
कुलपति,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
- (02) प्रो. पी.सी. शुक्ल,
पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
(304, जेमिनी गार्डनिया, तारा मण्डल, गोरखपुर-273017)
- (03) प्रो. सदानन्द गुप्त,
अध्यक्ष, हिन्दी साहित्य संस्थान,
लखनऊ
- (04) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
प्रयागराज
- (05) डॉ. ओम जी गुप्ता,
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
- (06) श्री ए.के. सिंह,
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज
- (07) श्री सुनील कुमार,
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
- (08) डॉ. साधना श्रीवास्तव,
असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
प्रयागराज

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कुलपति जी ने परिषद् के सम्मानित सदस्यों को निम्नलिखित बिन्दुओं से अवगत कराया :-

- (1) विश्वविद्यालय के यमुना परिसर अवस्थित भवनों तक मुख्य द्वार से WBM आधारित मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.01

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 12-07-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 12-07-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 01 पृष्ठ संख्या 34-64 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 12-07-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 12-07-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक दिनांक 12-07-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
53.01	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 24-04-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
53.02	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 24-04-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
53.03	विद्या परिषद् की पिछली (आपातकालीन) बैठक दिनांक 06-06-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

53.04	विद्या परिषद् की पिछली (आपातकालीन) बैठक दिनांक 06-06-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
53.05	दिनांक 10-07-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 10-07-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./891/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
53.06	दिनांक 09-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार	विद्या परिषद् ने दिनांक 09-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./892/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा निदेशक, मानविकी विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
53.07	दिनांक 06-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की	विद्या परिषद् ने दिनांक 06-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार

	अनुशंसा पर विचार	किया।	विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./893/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
53.08	दिनांक 09-07-2018 को शिक्षा विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 09-07-2018 को शिक्षा विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया साथ ही विद्या परिषद् ने अधिन्यास सम्बन्धी प्रस्ताव को जून 2018 परीक्षा के सापेक्ष लागू किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./895/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा, को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
53.09	दिनांक 12-07-2018 को परीक्षा समिति की होने वाली बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./896/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
2.	निम्नवत् वर्णित वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये	परीक्षा समिति द्वारा वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गई। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार

	एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)	को यथावत स्वीकार किया।	विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./897/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
3.	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के कतिपय प्रश्न पत्र समान पाठ्यक्रम पर संचालित है। वर्तमान में उनके लिए एक ही प्रश्न पत्र का निर्माण कराया जाता है। ऐसा करने से परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं। अतः ऐसे समान प्रश्न पत्रों का निर्माण भी अलग-अलग कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समान पाठ्यक्रम वाले विभिन्न कार्यक्रमों के प्रश्न पत्रों का निर्माण अलग-अलग कराया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./901/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जानी है।
4.	योगा में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाएँ प्रशिक्षण पर आधारित हो और शिक्षार्थी को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर ग्रेडिंग के माध्यम से अंक प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर भी विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।	योग कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि योग में प्रमाण पत्र कार्यक्रम हेतु 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम योग में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम योग में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थी की सुविधानुसार संख्या एवं अभिगम्यता के आधार पर प्रशिक्षण व मूल्यांकन प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाय। प्रशिक्षण का कार्यक्रम दो सत्र (दो घण्टे) का होगा। प्रथम सत्र में शारीरिक प्रशिक्षण जैसे प्राणायाम, व्यायाम, आसन इत्यादि तथा द्वितीय सत्र बौद्धिक प्रशिक्षण जो व्याख्यान पर आधारित होगा। बौद्धिक प्रशिक्षण के लिये 45 मिनट का समय निर्धारित किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./900/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।

5.	परीक्षा की गोपनीयता, सुचिता एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये आगामी परीक्षा से सीली हुई एवं क्रमांक युक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी संत्रान्त परीक्षा से सीली हुई एवं क्रमांक युक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./899/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जानी है।
53.10	दिनांक 06-07-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 06-07-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./890/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
53.11	दिनांक 11-07-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 11-07-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./889/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

53.12	स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में स्वच्छता अभियान पर एक जागरुकता कार्यक्रम संचालित किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में स्वच्छता अभियान पर एक जागरुकता कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./930/2018 दिनांक 03-08-2018 द्वारा निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
53.13	विश्वविद्यालय में सम्प्रति ऐसे क्षेत्रीय निदेशक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सहायक आचार्य की अर्हता धारित करते हैं, उन्हें परामर्शदाता (शैक्षणिक) के रूप में रखे जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में सम्प्रति ऐसे क्षेत्रीय निदेशक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सहायक आचार्य की अर्हता धारित करते हैं, उन्हें परामर्शदाता (शैक्षणिक) के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
53.14	विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के पदनाम को संशोधित करते हुए क्षेत्रीय समन्वयक रखे जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के पदनाम को संशोधित करते हुए क्षेत्रीय समन्वयक रखे जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा चुकी है।
53.15	दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जून 2018 के भी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जून, 2018 के भी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को परीक्षाफल समय पर घोषित होने की स्थिति में दिसम्बर, 2017/जून 2018 को सम्मिलित रूप से पूर्व की भाँति उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./898/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा परीक्षा

			नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
53.16	कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28-04-2018 के संकल्प संख्या 95.03 के निर्णय को बी.एड./बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों हेतु परीक्षा जून 2018 से क्रियान्वित किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28-04-2018 के संकल्प संख्या 95.03 के निर्णय को बी.एड./बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों हेतु परीक्षा जून 2018 से क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 14-07-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./894/2018 दिनांक 02-08-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक एवं शिक्षा विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.03

विद्या परिषद् की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 03-08-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 03-08-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 02 पृष्ठ संख्या 65-69 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 03-08-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.04

विद्या परिषद् की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 03-08-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 03-08-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
---------------	-------------------------	--------------------------------	---

54.01	दिनांक 21-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	<p>विद्या परिषद् ने दिनांक 21-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा में कतिपय निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 न्यूनतम अर्हता अन्त्योदन जागरुकता कार्यक्रम एवं एकात्म मानववाद जागरुकता कार्यक्रम में 10+2 रखा गया। 2. दोनों कार्यक्रम 03-03 इकाइयों के होंगे। 3. अन्त्योदन जागरुकता कार्यक्रम प्रथम एवं द्वितीय इकाई मिलाकर एक इकाई, तीसरी को दो तथा चौथी को तीन किया गया। 4. एकात्म मानववाद जागरुकता कार्यक्रम में दूसरी को पहली इकाई पहली और तीसरी को दूसरी इकाई, चौथी को तीसरी इकाई किया गया। 5. उक्त के सन्दर्भ में डॉ. महेश दत्त शर्मा द्वारा लिखित पं. दीन दयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वांगमय पुस्तक को सन्दर्भ के रूप रखा जाय। 	दिनांक 05-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ (38-98)/1464/ 2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
54.02	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रायोगिक प्रश्न पत्रों हेतु कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचार।	<p>विद्या परिषद् ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रायोगिक प्रश्न पत्रों हेतु कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचार किया।</p> <p>विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि आगामी सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत किया।</p>	दिनांक 05-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ (38-98)/1463/ 2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष को अवगत कराया जा चुका है।
54.03	दिनांक 26-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	<p>विद्या परिषद् ने दिनांक 26-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को कतिपय निम्नलिखित संशोधन के साथ स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया :-</p> <p>सुशासन में जागरुकता कार्यक्रम में प्रस्तावित</p>	दिनांक 05-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या

		पाठ्यक्रम की पाँचवीं इकाई को संशासन और नैतिक मूल्य के स्थान पर नैतिक मूल्य और सुशासन किया गया।	ओ.यू./ (38-98)/1461/2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा प्रो. सुधौशु त्रिपाठी, प्रभारी, समाज विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
54.04	दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि क्लीनिकल साइक्लॉजी विषय में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम चलाये जाने हेतु मेडिकल कालेजों एवं पैरामेडिकल कालेजों, नर्सिंग महाविद्यालयों एवं एलाइड हेल्थ साइंसेज के कालेजों तथा जिन महाविद्यालयों में मनोविज्ञान कोर्स चल रहा हो, को अध्ययन केन्द्र बनाया जाय।	दिनांक 05-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को कतिपय संशोधन के साथ स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ (38-98)/1462/2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
54.05	दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 05-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ (38-98)/1460/2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।

54.06	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर अवस्थित भवनों तक मुख्य द्वार से WBM आधारित मार्ग का निर्माण कराये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर अवस्थित भवनों तक मुख्य द्वार से WBM आधारित मार्ग का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 05-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही की जानी है।
-------	---	---	---

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.05

विद्या परिषद् की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 18-08-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 18-08-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 03 पृष्ठ संख्या ~~70-74~~ पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 18-08-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.06

विद्या परिषद् की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 18-08-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 18-08-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
55.01	UGC (ODL) Regulation 2017 के मानकानुसार विभिन्न विद्या शाखाओं के Disciplines (विषयों) में शासन से मांगे जाने वाले शैक्षणिक पदों पर विचार।	विद्या परिषद् ने UGC (ODL) Regulation 2017 के मानकानुसार विभिन्न विद्या शाखाओं के Disciplines (विषयों) में शासन से मांगे जाने वाले शैक्षणिक पदों की संलग्न सूची को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 18-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./987/2018 दिनांक 18-08-2018 द्वारा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर

			प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
55.02	विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर में जुलाई एवं जनवरी सत्र हेतु प्रवेश की तिथियों को प्रतिस्थापित किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेंडर में जुलाई एवं जनवरी सत्र हेतु प्रवेश की तिथि क्रमशः जुलाई सत्र 01 जून से 15 सितम्बर तक एवं जनवरी सत्र हेतु 15 नवम्बर से 15 फरवरी तक किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 18-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./38-99/1468/2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा डॉ. आर.पी.एस. यादव, प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
55.03	दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में दिनांक 30 अगस्त, 2018 तक उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि दिये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में दिनांक 30 अगस्त, 2018 तक उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि दिये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 18-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./38-99/1468/2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा डॉ. आर.पी.एस. यादव, प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा रही है।
55.04	बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों के कुछ वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विद्या परिषद् के सदस्य प्रो. पी.के. पाण्डेय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 18-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./38-99/1467/2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा

			विद्या शाखा को पत्र भेजा गया। कार्यवाही की जा चुकी है।
55.05	बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के विलम्बित सत्रों को नियमित किये जाने हेतु गठित समिति के अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने विद्या परिषद् के सदस्य प्रो. पी.के. पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के विलम्बित सत्रों को नियमित किये जाने हेतु गठित समिति के अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 18-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ (38-99)/1465/ 2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
55.06	स्वर्ण पदक के निमित्त दानदाताओं के पदनाम पर दिए जा रहे मेडल पर विचार	विद्या परिषद् ने दानदाता के पदनाम पर स्वर्ण पदक न देकर केवल उसके नाम पर स्वर्ण पदक दिये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 18-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ (38-99)/1466/ 2018 दिनांक 22-10-2018 द्वारा डॉ. जी. के. द्विवेदी, परीक्षा नियंत्रक को अवगत कराया जा चुका है।
55.07	विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित गेट नम्बर 02 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल विहारी वाजपेई जी के स्मृति में "अटल स्मृति द्वार" नामकरण किये जाने पर	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित गेट नम्बर 02 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल विहारी वाजपेई जी के स्मृति में "अटल स्मृति द्वार" नामकरण किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 18-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही की जा चुकी है।

	विचार।		
55.08	परीक्षा जून 2018 के परिणामों को घोषित किये जाने हेतु गठित समिति से अवगत होना।	विद्या परिषद् परीक्षा जून 2018 के परिणामों को घोषित किये जाने हेतु गठित समिति से अवगत हुई।	दिनांक 18-08-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.07

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 17-09-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 17-09-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद् की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 04 पृष्ठ संख्या ~~75-76~~ पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 17-09-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.08

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 17-09-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना।

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक दिनांक 17-09-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
56.01	दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के	विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत पूर्ण सूची को स्वीकृत करते हुए	दिनांक 17-09-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार तेरहवें दीक्षान्त समारोह में उपस्थित उत्तीर्ण

	अनुमोदन पर विचार।	कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	विद्यार्थियों को उपाधि दी गयी। शेष उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि उनके द्वारा दिये गये पते पर प्रेषण हेतु कार्यवाही की जा रही है।
56.02	दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।	दिनांक 17-09-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिया जा चुका है।
56.03	दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।	कुलपति जी ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.09

विद्या परिषद् की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 29-10-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 29-10-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद् की आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक 05 पृष्ठ संख्या 79-01 पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 29-10-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.10

विद्या परिषद् की आपातकालीन पिछली बैठक दिनांक 29-10-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 29-10-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

संकल्प संख्या	पिछली बैठक की कार्यसूची	पिछली बैठक में लिये गये निर्णय	पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों पर की गई कार्यवाही
57.01	दिनांक 11-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 11-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 08-12-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ (38-101)/1992/ 2019 दिनांक 13-02-2019 द्वारा प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।
57.02	दिनांक 24-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 24-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 08-12-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./ (38-101)/1993/ 2019 दिनांक 13-02-2019 द्वारा प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। कार्यवाही की जा चुकी है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.11

दिनांक 05-12-2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न आपातकालीन बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर के दक्षिण दिशा की चहारदिवारी पर रिटेनिंग वाल का निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर के दक्षिण दिशा की भूमि लगभग 10 फिट नीचे होने के कारण परिसर की मिट्टी लगातार बहकर चहारदिवारी के बाहर एकत्रित हो रही है एवं बरसात के दौरान यह समस्या अति गम्भीर हो जाती है जिससे चहारदिवारी क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। उक्त के दृष्टिगत मिट्टी का कटाव/बहाव रोकना अत्यन्त जरूरी है। ऐसी स्थिति में चहारदिवारी के बचाव के दृष्टिगत दक्षिण दिशा की चहारदिवारी पर लगभग 200 मीटर रिटेनिंग वाल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि योजना बोर्ड की नियमित बैठक न हो पाने की स्थिति में योजना बोर्ड के वाह्य सदस्यों से सन्दर्भित प्रकरण पर मा. कुलपति जी के दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त की गई।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर की दक्षिण दिशा के चहारदिवारी के बचाव के दृष्टिगत लगभग 200 मीटर रिटेनिंग वाल के निर्माण के साथ-साथ परिसर की अन्य दिशा में स्थित चहारदिवारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक रिटेनिंग वाल का भी निर्माण कराया जाय एवं सम्पूर्ण परिसर के समतलीकरण का कार्य भी कराये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

दिनांक 31-12-2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने पर विचार

योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 19-11-2016, विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 21-11-2016, वित्त समिति की बैठक दिनांक 22-11-2016 की संस्तुति एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 25-11-2016 के निर्णय के अनुपालन में क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के लिए भूखण्ड आवंटन हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण की बर्ग यू0पी0यू0डी0पी0 योजना के अन्तर्गत सेक्टर ई-1 में आवंटित भूमि की सुरक्षा के दृष्टिगत चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर हेतु भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे एक कान्फ्रेंस हाल, रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की भाँति भवन एवं उसके साथ भविष्य में आर.सी.आई के मानकानुसार 01 अध्ययन केन्द्र हेतु वांछित भवन के निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में नलकूप एवं 200 कि.ली. के ओवर हेड टैंक के निर्माण हेतु निर्धारित स्थल के परिवर्तन के दृष्टिगत स्वीकृत आगणन के संशोधन के सम्बन्ध में विचार

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में नलकूप एवं 200 कि.ली. के ओवर हेड टैंक के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत धनराशि रु. 50.00 लाख के न्यूनतम आगणन के सापेक्ष अनुबन्ध गठित करते हुये प्रथम किश्त में धनराशि रु. 25.00 लाख उक्त संस्था को अवमुक्त किये गये। उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था ने अपने पत्र संख्या 2205/ग्रा0अ0वि0/स्था0/2018-19 दिनांक 20-12-2018 द्वारा अवगत कराया है कि प्रारम्भिक आगणन गठन के समय उक्त टंकी के निर्माण स्थल का प्रस्ताव यमुना परिसर के ले-आउट प्लान में मुख्य प्रवेश द्वार के सामने पूरब की तरफ बाउण्ड्रीवाल के समीप बनाने

का निर्देश दिया गया था कार्य प्रारम्भ करते समय मा. कुलपति महोदय के निर्देशानुसार दक्षिण दिशा में बाउण्ड्री वाल के पास कार्यस्थल निर्धारित किया गया। यह प्रस्तावित स्थल सबसे डाउन लेबल पर है जिस पर टंकी निर्माण हेतु एम.एन.आई.टी., प्रयागराज से ड्राइंग, डिजाइन एवं स्थल की मृदा परीक्षण कराने के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त ड्राइंग के डिजाइन के अनुसार टंकी निर्माण हेतु रैफ्ट फाउण्डेशन को 4.00 मी० नीचे करना पड़ा तथा ओवर हेड टैंक 18.00 मी. स्टेजिंग का बनाना पड़ा। जबकि प्रारम्भिक प्राक्कलन 15.00 मी. स्टेजिंग पर गठन किया गया था। पम्प हाउस पूर्व चिन्हित स्थल पर सामान्य कक्ष की तरह बनाना था परन्तु संशोधित स्थल पर पम्प हाउस की नींव पाइल फाउण्डेशन से बनाना पड़ेगा जिसके कारण निर्माण कार्य पर स्वीकृत आगणन की धनराशि से अधिक धनराशि आयेगी। अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रयागराज द्वारा उक्त कार्य का संशोधित विस्तृत प्राक्कलन धनराशि रु. 53.89 लाख का प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में नलकूप एवं 200 कि.ली. के ओवर हेड टैंक के निर्माण हेतु निर्धारित स्थल के परिवर्तन के दृष्टिगत स्वीकृत आगणन के संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्प्युनिटी सेण्टर के मानचित्र में कतिपय संशोधन किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्प्युनिटी सेण्टर के निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 25 जनवरी, 2018 के संकल्प संख्या 26. 01 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें योजना बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया :-

“योजना बोर्ड ने यमुना परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीस्टोरी कम्प्युनिटी सेण्टर का निर्माण जिसमें कम्प्युनिटी सेण्टर के बेसमेण्ट में पार्किंग की व्यवस्था, प्रथम तल में अतिथि गृह एवं भूतल में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों हेतु बड़े कक्ष/हाल एवं स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।

योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस कम्युनिटी सेण्टर का सदुपयोग विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी किया जायेगा।”

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 24-04-2018 व कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28-04-2018 में योजना बोर्ड की उक्त अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

विश्वविद्यालय के उपयोगिता के दृष्टिगत प्रश्नगत निर्माण में संलग्न मानचित्र के अनुसार कतिपय संशोधन करते हुये कम्युनिटी सेण्टर के अन्तर्गत भूतल में डायस सहित एक बड़ा हाल एवं बरामदें में दो कमरों का निर्माण, प्रथम तल में एक बड़ा हाल तथा चार कमरें एवं द्वितीय तल में एक बड़ा हाल तथा दो कमरों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। मानचित्र संलग्नक 06 पृष्ठ संख्या 82-84 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्युनिटी सेण्टर के मानचित्र में कतिपय संशोधन किये जाने किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में नलकूल/टंकी से क्षेत्रीय कार्यालय, टाइप-I, टाइप-II एवं टाइप-III आवासों में पानी की सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में नलकूल/टंकी से क्षेत्रीय कार्यालय, टाइप-I, टाइप-II एवं टाइप-III आवासों में पानी की सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 08-12-2018 के संकल्प संख्या 101.18 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें कार्य परिषद् ने निम्नलिखित निर्णय लिया :-

“कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में नलकूल/टंकी से क्षेत्रीय कार्यालय, टाइप-I, टाइप-II एवं टाइप-III आवासों में पानी की सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।”

कार्य परिषद् के उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में पानी सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने के कार्य हेतु आगणन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड प्रयागराज को पत्र प्रेषित किया गया जिसके सापेक्ष धनराशि रु. 19.

45 लाख का आगणन ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया गया है। अनुबन्ध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में नलकूल/टंकी से क्षेत्रीय कार्यालय, टाइप-I, टाइप-II एवं टाइप-III आवासों में पानी की सप्लाई हेतु पाइप लाइन बिछाये जाने से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

5. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में लगने वाले प्रस्तावित 100 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर से क्षेत्रीय कार्यालय, टाइप-I, टाइप-II एवं टाइप-III आवासों में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन कराये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में लगने वाले प्रस्तावित 100 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर से क्षेत्रीय कार्यालय, टाइप-I, टाइप-II एवं टाइप-III आवासों में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन कराये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 08-12-2018 के संकल्प संख्या 101.19 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें कार्य परिषद् ने निम्नलिखित निर्णय लिया :-

“कार्य परिषद् ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में लगने वाले प्रस्तावित 100 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर से क्षेत्रीय कार्यालय, टाइप-I, टाइप-II एवं टाइप-III आवासों में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।”

कार्य परिषद् के उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में विद्युत संयोजन के कार्य हेतु आगणन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में अधिशाषी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड प्रयागराज एवं परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-33, सी. एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम, प्रयागराज को पत्र प्रेषित किये गये जिसके सापेक्ष केवल ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड प्रयागराज द्वारा धनराशि रु. 17.63 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया है। सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, प्रयागराज से अद्यतन आगणन न प्राप्त होने की स्थिति में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से प्राप्त आगणन के सापेक्ष अनुबन्ध की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में लगने वाले प्रस्तावित 100 के.वी.ए. के ट्रांसफार्मर से क्षेत्रीय कार्यालय, टाइप-I, टाइप-II एवं टाइप- III आवासों में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत संयोजन कराये जाने से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

6. उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018(4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार तीनों परिसरों में पूर्ण रूप से अलग वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्थल चिन्हित किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 06-06-2018 के संकल्प संख्या 28.16 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें योजना बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया :-

"योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018(4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के टायलेट ब्लॉक में आंशिक संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।"

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06-06-2018 के संकल्प संख्या 52.03(16) में उक्त अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया एवं कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 07-06-2018 के संकल्प संख्या 96.06(3-16) में निम्नलिखित निर्णय लिया :-

"कार्य परिषद् ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018(4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के

टायलेट ब्लॉक में आंशिक संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।”

कार्य परिषद् के उक्त निर्णयानुसार प्रस्तावित आंशिक संशोधन सम्भव न हो पाने की स्थिति में स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार तीनों परिसरों (गंगा परिसर, यमुना परिसर एवं सरस्वती परिसर) के नवीन स्थलों में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) का निर्माण कराया जाना है। आवश्यकतानुसार प्रथमतः यमुना परिसर में क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद के सामने दक्षिणी बाउण्ड्री वाल के पास एवं सरस्वती परिसर में जेनरेटर कक्ष के पास वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018(4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार यमुना परिसर में क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद के सामने दक्षिणी बाउण्ड्री वाल के पास एवं सरस्वती परिसर में जेनरेटर कक्ष के पास वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।

योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के बेसमेन्ट पर स्थित ट्वायलेट के उपयोग अथवा अनुपयोग की स्थिति पर विचार करने एवं गंगा परिसर में स्थित अतिरिक्त ट्वायलेट को डारमेट्री में परिवर्तित करने की सम्भावनाओं के साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष तृतीय वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण स्थल के चिन्हित करने हेतु समस्त निदेशकों/विद्या शाखा के प्रभारियों की समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. विश्वविद्यालय के यमुना परिसर के दक्षिण दिशा की चहारदिवारी पर रिटेनिंग वाल का निर्माण कराये जाने से अवगत होना

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर के दक्षिण दिशा की चहारदिवारी पर रिटेनिंग वाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 08-12-2018 के

संकल्प संख्या 101.20(1) में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें कार्य परिषद् ने निम्नलिखित निर्णय लिया :-

“योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर की दक्षिण दिशा के चहारदिवारी के बचाव के दृष्टिगत लगभग 200 मीटर रिटेनिंग वाल के निर्माण के साथ-साथ परिसर की अन्य दिशा में स्थित चहारदिवारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक रिटेनिंग वाल का भी निर्माण कराया जाय एवं सम्पूर्ण परिसर के समतलीकरण का कार्य भी कराये जाने का निर्णय लिया।”

कार्य परिषद् के उक्त निर्णयानुसार 200 मीटर रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक आगणन प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, प्रयागराज, परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, प्रयागराज इकाई-2, मशीनरी एवं स्ट्रक्चरल सेन्टर, डी-6 एवं डी-7, नैनी, प्रयागराज एवं अधिशाषी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रयागराज प्रखण्ड, प्रयागराज को पत्र प्रेषित किये गये। तदनुक्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड प्रयागराज से प्रारम्भिक आगणन लागत रु. 73.64 लाख एवं सी. एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम से प्रारम्भिक आगणन लागत रु. 78.39 लाख के प्राप्त हुये हैं। दोनों आगणनों में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड प्रयागराज का आगणन रु. 73.64 लाख न्यूनतम है, जिसके सापेक्ष प्रश्नगत निर्माण हेतु अनुबन्ध के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के यमुना परिसर के दक्षिण दिशा की चहारदिवारी पर रिटेनिंग वाल का निर्माण कराये जाने से अवगत हुई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।

8. कुलपति कक्ष, कुलसचिव कक्ष एवं मीटिंग हाल में आन्तरिक साज-सज्जा, फाल्स सीलिंग एवं वुडेन पैनल लगाये जाने के सम्बन्ध में पुनः विचार

कुलपति कक्ष एवं मीटिंग हाल में फाल्स सीलिंग एवं वुडेन पैनल लगाये जाने पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में कन्सट्रक्शन एवं डिजाईन सर्विसेज, यूनिट-10, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद से अनुमानित लागत रु. 5.87 लाख का आगणन प्राप्त किया गया था। कार्य कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण वित्त समिति की बैठक दिनांक 22 नवम्बर, 2011 को विचारार्थ रखा गया जिसमें वित्त समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया :-

“समिति ने सुझाव दिया कि सर्वप्रथम प्रश्नगत भवन का कब्जा प्राप्त किया जाय तत्पश्चात् बजट में प्राविधानित लघु निर्माण कार्य मद से अपने श्रोतों से कुलपति कक्ष एवं मीटिंग हाल में फाल्स सीलिंग एवं वुडेन पैनल लगाया जाय।”

उक्त प्रकरण पर कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 21 जुलाई 2012 के संकल्प संख्या 62.06 (v) में वित्त समिति की अनुशंसा को कार्य परिषद् ने यथावत स्वीकार करते हुए अनुमोदित किया।

चूँकि कुलपति कक्ष एवं मीटिंग हाल में फाल्स सीलिंग एवं वुडेन पैनल लगाये जाने के सम्बन्ध में लगभग 07 वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में कुलपति कक्ष, कुलसचिव कक्ष एवं मीटिंग हाल में आन्तरिक साज-सज्जा, फाल्स सीलिंग एवं वुडेन पैनल लगाये जाने हेतु नवीन प्रस्ताव एवं आगणन प्राप्त कर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने कुलपति कक्ष, कुलसचिव कक्ष, वित्त अधिकारी कक्ष एवं मीटिंग हाल में आन्तरिक साज-सज्जा, फाल्स सीलिंग एवं वुडेन पैनल लगाये जाने हेतु नवीन प्रस्ताव एवं आगणन प्राप्त कर कार्य कराये जाने का निर्णय लिया

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

9. योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर स्थित टाइप-I, टाइप-II एवं टाइप- III आवासों में खिड़की, रोशनदान एवं दरवाजे पर जाली लगाये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

10. योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय का कैलेण्डर बनवाये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय का कैलेण्डर शीघ्रातिशीघ्र प्रिंटिंग कराये जाने का निर्णय लिया।

दिनांक 17-02-2019 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में योजना बोर्ड की बैठक दिनांक 31-12-2018 के संकल्प संख्या 30.05 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसमें योजना बोर्ड ने निम्नलिखित निर्णय लिया :-

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की भाँति भवन एवं उसके साथ भविष्य में आर.सी.आई के मानकानुसार 01 अध्ययन केन्द्र हेतु वांछित भवन के निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।

उक्त निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में बाउण्ड्रीवाल पर कटीले तार लगाये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर के चहारदीवारी की ऊँचाई कम होने के कारण परिसर एवं निर्माणाधीन प्रेक्षागृह में अवस्थित होने वाले यंत्र असुरक्षित हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 575 मीटर की चहारदीवारी के खम्भों में 'V' आकार के एंगल जाम करके कटीले तार का गोला रिंग बनाकर लगाये जाने की आवश्यकता है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में बाउण्ड्रीवाल पर कटीले तार लगाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

3. गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के बेसमेन्ट पर स्थित ट्वायलेट के उपयोग अथवा अनुपयोग की स्थिति पर विचार करने एवं गंगा परिसर में स्थित अतिरिक्त ट्वायलेट को डारमेट्री में परिवर्तित करने की सम्भावनाओं के साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष तृतीय वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण स्थल के चिन्हित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 15-02-2019 की अनुशंसा पर विचार

गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के बेसमेन्ट पर स्थित ट्वायलेट के उपयोग अथवा अनुपयोग की स्थिति पर विचार करने एवं गंगा परिसर में स्थित अतिरिक्त ट्वायलेट को डारमेट्री में परिवर्तित करने की सम्भावनाओं के साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष तृतीय वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण स्थल के चिन्हित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 15-02-2019 की अनुशंसा संलग्नक 07 पृष्ठ संख्या 05..... पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के बेसमेन्ट पर स्थित ट्वायलेट के उपयोग अथवा अनुपयोग की स्थिति पर विचार करने एवं गंगा परिसर में स्थित अतिरिक्त ट्वायलेट को डारमेट्री में परिवर्तित करने की सम्भावनाओं के साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष तृतीय वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण स्थल के चिन्हित करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 15-02-2019 की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन में रैम्प बनवाये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन में रैम्प न होने के कारण आने वाले दिव्यांग शिक्षार्थियों एवं वृद्ध अभिभावकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के शैक्षणिक भवन में रैम्प बनवाये जाने की आवश्यकता है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन में रैम्प बनवाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. विश्वविद्यालय के गंगा परिसर में विद्युत का संचालन अण्डर ग्राउण्ड केबल के माध्यम से कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के गंगा परिसर में स्थापित ट्रॉसफार्मर से पोल द्वारा बिजली के खुले तार विभिन्न भवनों से सम्बद्ध हैं। उक्त खुले तारों की वजह से नजदीक स्थित पेड़-पौधों को बार-बार काटना छाँटना पड़ता है जिससे परिसर की हरियाली प्रभावित होती है एवं विश्वविद्यालय कर्मियों तथा आने-जाने वाले शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों के साथ आकस्मिक दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उक्त के दृष्टिगत सम्बन्धित खुले तारों के स्थान पर अण्डरग्राउण्ड केबल द्वारा बिजली के संचालन कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर में विद्युत का संचालन अण्डर ग्राउण्ड केबल के माध्यम से कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन में विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशक कक्षाओं में अटैच प्रसाधन कक्ष के निर्माण कराये जाने पर विचार

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन में विभिन्न विद्या शाखाओं के निदेशक कक्षों में अटैच प्रसाधन कक्ष का निर्माण कराये जाने हेतु सैद्धान्तिक रूप में प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं इस सम्बन्ध में तकनीकी पक्ष पर विचारोपरान्त कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

7. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन में शिक्षार्थियों के सम्पर्क एवं परामर्श कक्षाओं हेतु शिक्षण कक्ष के निर्माण कराये जाने पर विचार

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन में शिक्षार्थियों के सम्पर्क एवं परामर्श कक्षाओं हेतु क्रमशः मानविकी विद्या शाखा एवं विज्ञान विद्या शाखा को आवंटित कक्ष संख्या 101 एवं 201 में शिक्षण कक्ष का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

8. विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन एवं पुस्तकालय भवन के प्रथम तल स्थित परीक्षा हाल में दिव्यांग शिक्षार्थियों हेतु रैम्प बनवाये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन एवं पुस्तकालय भवन के प्रथम तल स्थित परीक्षा हाल में दिव्यांग शिक्षार्थियों हेतु रैम्प न होने के कारण आने वाले दिव्यांग शिक्षार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन एवं पुस्तकालय भवन के प्रथम तल स्थित परीक्षा हाल में दिव्यांग शिक्षार्थियों हेतु रैम्प बनवाये जाने की आवश्यकता है।

अतः प्रकरण योजना बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

योजना बोर्ड ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित शैक्षणिक भवन एवं पुस्तकालय भवन के प्रथम तल स्थित परीक्षा हाल को जोड़ते हुए दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए रैम्प बनवाये जाने हेतु सैद्धान्तिक रूप में प्रस्ताव को स्वीकार किया एवं इस सम्बन्ध में तकनीकी एवं व्यावहारिक स्थितियों पर विचारोपरान्त निर्माण कराए जाने का निर्णय लिया।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.14

देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रित (पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृतक शहीद द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वैध रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र एवं अविवाहित दत्तक पुत्री) को इस विश्वविद्यालय द्वारा अपने संचालित किसी एक कार्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने पर विचार

देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रित (पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृतक शहीद द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वैध रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र एवं अविवाहित दत्तक पुत्री) जो कि अचानक आर्थिक विपन्नता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके आश्रित आर्थिक धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित न हो जाए, को विश्वविद्यालय द्वारा अपने संचालित किसी एक कार्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों के शहीद जवानों के आश्रित (पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृतक शहीद द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान वैध रूप से ग्रहीत दत्तक पुत्र एवं अविवाहित दत्तक पुत्री) को इस विश्वविद्यालय द्वारा अपने संचालित किसी एक कार्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त निर्णय प्रवेश विवरणिका में भी किया जाय।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.15

IPR, Patent एवं Copyright Policy के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30-11-2018 की अनुशंसा पर विचार

IPR, Patent एवं Copyright Policy के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30-11-2018 की अनुशंसा संलग्नक 08 पृष्ठ संख्या 86-95 पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने IPR, Patent एवं Copyright Policy के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30-11-2018 की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.16

विश्वविद्यालय को DUAL MOD (संस्थागत एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति) में चलाये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ODL 2017 अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रयोगात्मक विषयों की प्रयोगशालाओं की आवश्यकता पर बल दिया जा जा रहा है जिसके अभाव में कतिपय कार्यक्रमों में प्रवेश बाधित हो रहा है यदि प्रयोगशाला बना भी दिया जाय तो बिना संस्थागत (नियमित) छात्रों के प्रवेश के अभाव में उसका सार्थक उपयोग नहीं हो पायेगा। अतः दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अलावा स्नातकोत्तर कक्षाओं में संस्थागत (नियमित) प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय परिनियम में संशोधन किये जाने हेतु शासन से अनुरोध किये जाने का प्रस्ताव है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय को DUAL MOD (संस्थागत एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति) में चलाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.17

विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति हेतु संवीक्षा समिति में वाह्य विशेषज्ञों को नामित किये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति हेतु संवीक्षा समिति में वाह्य विशेषज्ञों को नामित किया जाना प्रासंगिक है, जिससे तदसम्बन्धी प्रक्रिया को पारदर्शितापूर्वक सम्पन्न करायी जा सके।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न विद्या शाखाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक पदों पर कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति हेतु संवीक्षा समिति में वाह्य विशेषज्ञों को नामित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.18

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम डिप्लोमा इन पेपर क्राफ्ट (DPC) एवं डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिजाइन (DJD) बन्द किये जाने पर विचार

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रम डिप्लोमा इन पेपर क्राफ्ट (DPC) एवं डिप्लोमा इन ज्वेलरी डिजाइन (DJD) जब तक सम्बन्धित विद्या शाखा द्वारा SLM तैयार न कर लिया जाय तब तक उक्त कार्यक्रमों को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उक्त कार्यक्रमों का SLM शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित विद्या शाखा द्वारा तैयार कराया जाय।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 58.19

यू.जी.सी., नई दिल्ली के पत्र संख्या 17-5/2018(DEB-I) दिनांक 20 फरवरी, 2019 जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सीमा के सम्बन्ध में है, से अवगत होना

यू.जी.सी., नई दिल्ली के पत्र संख्या 17-5/2018(DEB-I) दिनांक 20 फरवरी, 2019 (संलग्नक 09 पृष्ठ संख्या 96-99) जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सीमा निम्नवत है एवं समय सीमा के बाद अन्तिम तिथि से 10 दिन के अन्दर प्रवेश सम्बन्धी पूर्ण सूचनाएं अपलोड करने हेतु निर्देश दिया गया है :-

Academic Session for January - Admission Last Date February End

Academic Session for July - Admission Last Date August End

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् यू.जी.सी., नई दिल्ली के पत्र संख्या 17-5/2018(DEB-I) दिनांक 20 फरवरी, 2019 जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्धारित समय सीमा के सम्बन्ध में है, से अवगत हुई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


डॉ. (अरुण कुमार गुप्ता)
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 12-07-2018 को अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद की 53वीं

बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | प्रो. के.एन. सिंह,
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. ओम जी गुप्ता,
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 3. | डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 4. | डॉ. आर.पी.एस. यादव,
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. | डॉ. आशुतोष गुप्ता,
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. | प्रो. पी.के. पाण्डेय,
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. | प्रो. सुधौंशु त्रिपाठी,
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 8. | डॉ. संतोषा कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 9. | डॉ. विनोद कुमार गुप्ता,
उपा निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 10. | श्री सुनील कुमार,
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 11. | डॉ. साधना श्रीवास्तव,
असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |

12. डॉ. टी.एन. दुबे,
पुस्तकालयाध्यक्ष,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
13. प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा/कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

विशेष आमंत्रित सदस्य

सदस्य-सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (1) प्रो. राजेन्द्र प्रसाद,
कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (2) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा
- (3) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (4) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
- (5) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.01

विद्या परिषद की पिछली बैठक दिनांक 24-04-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 24-04-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या _____ पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद ने अपनी पिछली बैठक दिनांक 24-04-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.02

विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 24-04-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली बैठक में दिनांक 24-04-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

51.01	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 18-03-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
51.02	विद्या परिषद् की पिछली बैठक दिनांक 18-03-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
51.03	दिनांक 28-10-2017 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक (आपातकालीन) की कार्यवृत्त पर विचार		
1.	विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत होना	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में 1000 व्यक्तियों की क्षमता के आडिटोरियम कम मल्टीपरपज (Multipurpose) हाल के निर्माण की प्रगति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने पर विचार	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अ.शा.पत्र संख्या F.1-1/2017(Secy) दिनांक 13 जुलाई, 2017 के साथ संलग्न एक्शन प्लान के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
4.	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरुष बाथरूम बनाये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में मा. कुलाधिपति कक्ष के सामने विशिष्ट अतिथिगण हेतु निर्मित महिला बाथरूम को पुरुष बाथरूम बनाये जाने से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
5.	विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय में विज्ञान विद्या शाखा/कम्प्यूटर विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत कम्प्यूटर लैब/स्मार्ट क्लास रूम को स्थापित किये जाने से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
6.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने एवं भूतल, प्रथम तल, एवं द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण के अद्यतन स्थित से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

	स्थित से अवगत होना।		
7.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, बरेली हेतु भूखण्ड क्रय किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8.	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर स्थित याज्ञवल्क्य ग्रन्थालय के द्वितीय तल पर परीक्षा हाल के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
9.	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मानचित्र के अनुसार द्वितीय तल के निर्माण कराये जाने एवं छतरी (डोम) लगाये जाने के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
10.	विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के प्रथम तल में योग एण्ड फिटनेस सेण्टर की स्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही की जा रही है।
11.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, इलाहाबाद स्थित आडियो विजुवल लैब को सरस्वती परिसर स्थित पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर स्थानान्तरित किये जाने से	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही

	तल पर स्थानान्तरित किये जाने से अवगत होना।	अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	अपेक्षित नहीं है।
(4)	दिनांक 25-01-2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक (आपातकालीन) की कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में कम्युनिटी सेण्टर के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने यमुना परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मल्टीस्टोरी कम्युनिटी सेण्टर का निर्माण जिसमें कम्युनिटी सेण्टर के बेसमेण्ट में पार्किंग की व्यवस्था, प्रथम तल में अतिथि गृह एवं भूतल में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों हेतु बड़े कक्ष/हाल एवं स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया। योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस कम्युनिटी सेण्टर का सदुपयोग विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों के लिए भी किया जायेगा। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
2.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी के निर्माण एवं क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली हेतु भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के अन्तर्गत कार्यालय हेतु 04 कमरे, एक कान्फ्रेंस हाल व रसोई सहित दो अतिथि कक्षों के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

3.	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि०ली० क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में एक नलकूप एवं 200 कि०ली० क्षमता की टंकी के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।
4.	विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के सरस्वती परिसर में कैंटीन हेतु भवन के निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
5.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु क्रय किये गये भूखण्ड पर चहारदीवारी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ हेतु भवन के निर्माण के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
6.	विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र, आगरा एवं क्षेत्रीय केन्द्र, कानपुर के कार्यालय हेतु निज भवन/भूखण्ड क्रय किये जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7.	विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष एवं सर्वर रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के	योजना बोर्ड विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित योग कक्ष में योग मशीन जैसे ट्रेडमिल, साइकिल, पर्दे, शीशा एवं फिटनेस से सम्बन्धित अन्य उपकरण लगाये जाने व सर्वर	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार

	अद्यतन स्थिति से अवगत होना।	रूम में फाल्स सीलिंग कराए जाने की कार्यवाही के अद्यतन स्थिति से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
8.	विश्वविद्यालय के गंगा एवं सरस्वती परिसर में दो/चार पहिया वाहन पार्किंग निर्माण कराये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर एवं सरस्वती परिसर में वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग हेतु अण्डरग्राउण्ड पार्किंग जिसमें बेसमेण्ट में चार पहिया वाहन तथा भूतल पर दो पहिया वाहन पार्किंग स्थल का निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
9.	विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में पावर सप्लाय मीटर रूम, ट्रांसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में पावर सप्लाय मीटर रूम, ट्रांसफारमर पैड के निर्माण, विद्युत केबल खरीदने एवं विद्युत भार बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त कार्य सम्बन्धित विद्युत विभाग से सम्पर्क कर कराया जाय। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
(5)	दिनांक 06-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 06-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./365/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, मानविकी विद्या शाखा को पत्र

			प्रेषित किया जा चुका है।
(6)	दिनांक 28-03-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 28-03-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./366/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, समाज विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(7)	दिनांक 28-03-2018 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 28-03-2018 को शिक्षा विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./367/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, शिक्षा विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(8)	दिनांक 20-04-2018 को व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 20-04-2018 को व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./368/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा एवं स्वास्थ्य विज्ञान

			विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(9)	दिनांक 26-03-2018 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 26-03-2018 को विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./364/2018 दिनांक 02-06-2018 द्वारा निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा एवं कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(10)	ऐसे कार्यक्रम जिसमें विगत 03 वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या 0 से 10 तक है, कतिपय कार्यक्रमों के संचालन को सत्र 2018-19 से स्थागित किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने ऐसे कार्यक्रम जिसमें विगत 03 वर्षों में शिक्षार्थियों की संख्या 0 से 10 तक है, कतिपय कार्यक्रमों के संचालन को सत्र 2018-19 से स्थागित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को सिद्धान्तः स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./237/2018 दिनांक 16-05-2018 द्वारा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(11)	दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जनवरी सत्र के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार	विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जनवरी सत्र के उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./333/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया

			जा चुका है।
(12)	विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों से पुनः पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों से पुनः पंजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./328/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(13)	"एकल विषय में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र कार्यक्रम" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार	विद्या परिषद् ने "एकल विषय में दो वर्षीय प्रमाण-पत्र कार्यक्रम" प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./326/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा/प्रभारी प्रवेश अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(14)	दिनांक 03-04-2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न बैठक की कार्यवृत्त पर विचार		
1.	विगत वर्ष के छूटे हुए प्रश्न-पत्र के अंक (अधिन्वास एवं सत्रांत परीक्षा) हेतु कमेटी का गठन कर Average अंक प्रदान कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एक समिति का गठन किया जाय जिसमें समिति के सदस्य डॉ० पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा, डॉ० आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा एवं डॉ० आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा होंगे। समिति की अनुशंसा पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षा परिणाम को घोषित किया जाय। इस प्रकार के प्रकरण हेतु प्रत्येक शनिवार को गठित समिति की बैठक कराई जाय तथा समिति की संस्तुति के आधार पर औसत अंक प्रदान करते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाय व प्रमाण सुरक्षित रखा	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./334/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया

		जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	जा चुका है।
2.	परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य कराने हेतु क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ व कानपुर को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्रांत परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराने हेतु विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झाँसी, आगरा, बरेली व मेरठ को नोडल मूल्यांकन केन्द्र बनाया जाय तथा क्षेत्रीय निदेशकों की देखरेख में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराया जाय। किसी भी क्षेत्रीय मूल्यांकन केन्द्र हेतु पर्यवेक्षक एवं नोडल प्रभारी की नियुक्ति मा० कुलपति जी के स्तर से की जायेगी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./334/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
3.	कार्यक्रम अनुसार पूर्व की भांति UG प्रथम, द्वितीय वर्ष, सेमेस्टर वाइज एवं PG प्रथम व सेमेस्टर वाइज की अंकतालिका शिक्षार्थियों को रू० 200/- शुल्क लेने के पश्चात उपलब्ध कराने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थियों की मांग पर रू० 200/- प्रति अंकपत्र शुल्क प्राप्त होने की स्थिति में कार्यक्रमानुसार प्रथम व द्वितीय वर्ष की अंकतालिका निर्गत कर दी जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./336/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
4.	बी०एड० व विशिष्ट बी० एड० का एक ही अधिन्यास प्रश्न-पत्र बनवाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति की अनुशंसा एवं परीक्षा परीणाम की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विद्या शाखा को इस आशय का पत्र कुलसचिव जी के माध्यम से प्रेषित किया जाय कि अन्य कार्यक्रमों के समान ही B.Ed एवं B.Ed (SE) कार्यक्रमों में भी एक ही अधिन्यास प्रश्न-पत्र बनाया जाना उपयुक्त होगा। विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि पूर्ववत व्यवस्था यथावत रखी जाय।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./331/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया

			जा चुका है।
5.	जून-2010 से दिसम्बर-2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रु 9,30,000/- में विक्रय कर दिया गया है। इसकी सूचना प्रशासन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है।	प्रशासन अनुभाग की सूचना अनुसार जून-2010 से दिसम्बर-2015 तक की समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को रद्दी में रु 9,30,000/- में विक्रय कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
6.	सत्रांत परीक्षा जून-2017 परीक्षा केन्द्र एस-833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के परीक्षार्थियों का परिणाम उपस्थिति पत्रक में जिन शिक्षार्थियों के हस्ताक्षर थे घोषित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार एस-806 (गुरु फूलचन्द पी जी कॉलेज, गाजीपुर) के शिक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी घोषित कर दिया गया है।	सत्रांत परीक्षा जून-2017 परीक्षा केन्द्र एस-833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) एवं एस-806 (गुरु फूलचन्द पी.जी. कॉलेज, गाजीपुर) के जिन परीक्षार्थियों का हस्ताक्षर उपस्थिति पत्रक में था उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिये जाने से परीक्षा समिति अवगत हुई। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
7.	सत्रांत परीक्षा जून-2017 परीक्षा केन्द्र एस-833 (बाबा बनवारी लाल गोपाल महाविद्यालय, गाजीपुर) के ऐसे शिक्षार्थी जिनके परीक्षा परिणाम रोके गये हैं उनके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि ऐसे शिक्षार्थियों के सभी प्रश्न-पत्रों की परीक्षा निरस्त की जाय या जिन प्रश्न-पत्र की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध है परन्तु उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं हैं उनके परीक्षा परिणाम रोके जाने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इसकी सूचना अध्ययन केन्द्र के पैलन एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर upload कराया जाय तथा जिस प्रश्नपत्र के उपस्थिति पत्रक में परीक्षार्थियों की उपस्थिति नहीं है उस प्रश्नपत्र का परीक्षा परिणाम निरस्त करते हुए शेष को घोषित कर दिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./337/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
8.	जुलाई-2018 सत्र में स्नातक एवं परास्नातक के कार्यक्रम में प्रवेशित सभी वर्ष के शिक्षार्थियों को नान क्रेडिट कार्यक्रमों की परीक्षा तथा ऐसे कार्यक्रम जिसमें छात्र संख्या 500 से अधिक होगी उनकी भी परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर कराई जायेंगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि नान क्रेडिट कार्यक्रमों तथा योगा कार्यक्रम के दो प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जनवरी-2018 सत्र से ही कराई जायेंगी। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे इसकी सूचना विश्वविद्यालय के website पर भी upload किया जाय। विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि नान क्रेडिट कार्यक्रमों तथा योगा कार्यक्रम के दो प्रश्नपत्रों की परीक्षाएँ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर जनवरी-2018 सत्र से ही कराई	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./338/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा

		जाय। इस प्रकार के प्रश्नपत्रों में 70 अंक के प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे इसकी सूचना विश्वविद्यालय के website पर भी upload किया जाय।	नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
9.	दिसम्बर-2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिका का प्रयोग किया जायेगा।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से दिसम्बर-2018 सत्र की परीक्षा से OMR आधारित उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किये जाने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./339/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
10	राज्य सरकार के निर्देश एवं विश्वविद्यालय मानक के आलोक में जून-2018 सत्र हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर निर्धारित किया जायेगा।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सहमति जताई। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./340/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
11.	पूर्व सत्रों के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम जो कतिपय कारणों से अपूर्ण थे परन्तु वे वर्तमान में पूर्ण हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें किस सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान की जाय।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षार्थी द्वारा जिस सत्रांत (Term End) में परीक्षा दी गई है उसी सत्र के सापेक्ष अंकतालिका प्रदान किया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./341/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया

			जा चुका है।
12.	विश्वविद्यालय में कर्मचारी कल्याण निधि (Employee Welfare Fund) शुरू करने के सम्बन्ध में कुलसचिव जी द्वारा चर्चा की गई तथा प्रस्ताव दिया गया कि अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रस्तुत किये गये परामर्श देयक के भुगतान में से 3 प्रतिशत (3%) कटौती करते हुए धनराशि कर्मचारी कल्याण निधि (Employee Welfare Fund) में जमा किया जाय।	समिति ने मा० कुलपति जी के सहमति के आधार पर निर्णय लिया कि इसकी सम्पूर्ण कार्यवाही कुलसचिव के माध्यम से पूर्ण कराई जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./342/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा विल्ल अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
(15)	विश्वविद्यालय के नवीन क्षेत्रीय केन्द्र फैजाबाद हेतु 02 डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) रखे जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के नवीन क्षेत्रीय केन्द्र फैजाबाद हेतु 02 डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) रखे जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि आवश्यकता पड़ने पर अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों पर भी डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) नियुक्त किया जाय।	विश्वविद्यालय के नवीन क्षेत्रीय केन्द्र फैजाबाद हेतु 01 डाटा इन्ट्री ऑपरेशन (परामर्शी) रखा जा चुका है।
(16)	विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक संवर्ग के पदों का विद्या शाखावार/विषयवार पुर्नवर्गीकरण किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में रिक्त शैक्षणिक संवर्ग के पदों का विद्या शाखावार/विषयवार पुर्नवर्गीकरण किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं
(17)	पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को छात्र संख्या के अभाव में स्थगित किये जाने तथा पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु शुल्क लेने के सन्दर्भ में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	विद्या परिषद् ने पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को छात्र संख्या के अभाव में स्थगित किये जाने तथा पूर्व से संचालित अध्ययन केन्द्र को वांछित अतिरिक्त कार्यक्रम प्रदान किये जाने हेतु शुल्क लेने के सन्दर्भ में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./238/2018 दिनांक 16-05-2018 द्वारा प्रभारी, अध्ययन केन्द्र को पत्र प्रेषित

	स्थापना हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 21-04-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।		किया जा चुका है।
(18)	दिनांक 21-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 21-04-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 28-04-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./327/2018 दिनांक 29-05-2018 द्वारा निदेशक, मानविकी विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.03

विद्या परिषद् की पिछली (आपातकालीन) बैठक दिनांक 06-06-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 06-06-2018 को सम्पन्न विद्या परिषद् की (आपातकालीन) बैठक के कार्यवृत्त की प्रति सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की जा चुकी है। बैठक का कार्यवृत्त संलग्नक पृष्ठ संख्या _____ पर उपलब्ध है। किसी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है। कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने अपनी पिछली (आपातकालीन) बैठक दिनांक 06-06-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.04

विद्या परिषद् की पिछली (आपातकालीन) बैठक दिनांक 06-06-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से अवगत होना

विद्या परिषद् अपनी पिछली (आपातकालीन) बैठक में दिनांक 06-06-2018 में लिए गये निर्णयों पर की गयी कार्यवाही से निम्न विवरण के अनुसार अवगत हुई :-

52.01	दिनांक 04-06-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	विद्या परिषद् ने दिनांक 04-06-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./756/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
52.02	दिनांक 05-06-2018 को परीक्षा समिति की सम्पन्न (आपातकालीन) बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	सत्रांत परीक्षा की तैयारी हेतु ऐसे कर्मचारी जो कार्यालय अवधि के बाद एवं अवकाश के दिनों में कार्यालय आ कर कार्य करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः उचित होगा कि ऐसे कर्मचारियों के लिये प्रतिकर की अवधि बढ़ा कर तीन माह कर दी जाय या अन्य राज्य विश्वविद्यालय में ऐसे कर्मचारियों के लिये जो पारिश्रमिक का प्रावधान हो, उसे लागू कर लिये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु कुलसचिव द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाय। परीक्षा समिति के सदस्य डॉ० ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा संयोजक तथा डॉ० पी.पी. दूबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा एवं डॉ० आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा कमेटी के सदस्य होंगे। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./744/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
2.	परीक्षा विभाग द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु ₹ 500/- एवं 300/- का शुल्क निर्धारित किया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति द्वारा उपाधि एवं अंकतालिका की द्वितीय प्रति निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित शुल्क ₹ 500/- एवं 300/- से अवगत होते हुए सहमति व्यक्त की गई। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	सत्र 2016 के पूर्व से छूटे हुए	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षाफल घोषित होने से तीन वर्ष पूर्व के प्रकरणों	दिनांक 07-06-2018 को

	प्रश्न-पत्र के अंक को अंकपत्र में अंकित करवाने वाले प्रकरण हेतु प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/- निर्धारित करने पर विचार।	पर प्रति आवेदन प्रक्रियात्मक शुल्क रू0 200/- लिया जाय। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./743/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
4.	विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए रू 2/- प्रति कॉपी न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/- पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य को सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त किये गए कर्मचारियों (तृतीय/चतुर्थ श्रेणी) को मूल्यांकन कार्य हेतु एक उचित पारिश्रमिक रू 2/- प्रति कॉपी, न्यूनतम रू0 2,000 एवं अधिकतम रू0 5,000/- अलग से निर्धारित करने की संस्तुति की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./752/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
5.	उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में सम्मिलित नोडल प्रभारी हेतु देय मानदेय 10,000 से कम उत्तर पुस्तिकायें होने पर न्यूनतम रू0 5,000/- तथा 10,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकायें होने पर अधिकतम रू0 10,000 पारिश्रमिक निर्धारित करने पर विचार।		दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./753/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य कराने हेतु नोडल प्रभारी का मानदेय निर्धारित करने के सम्बन्ध में परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नानुसार संस्तुति की :-

कॉपी संख्या	मानदेय
25,000 तक	रु0 05,000 / -
25,001 से 50,000 तक	रु0 10,000 / -
50,000 से अधिक	रु0 15,000 / - यदि नोडल प्रभारी द्वारा सहायक नोडल प्रभारी नियुक्त किया जाता है तो मानदेय का वितरण 60% एवं 40% के अनुपात में किया जाय।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

6.	परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष अनुचित साधन प्रयोग (UFM) से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है सूचनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के अनुचित साधन के प्रयोग (UFM) में आरोपित 11 परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में UFM कमेटी के निर्णय की पुष्टि की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./751/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
7.	परीक्षा सत्र दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है सूचनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई। विद्या परिषद् दिसम्बर-2017 के सापेक्ष समस्त कार्यक्रमों (बी.एड. एवं बी.एड. विशिष्ट शिक्षा को छोड़कर) के घोषित परीक्षाफल की सूचना से अवगत हुई। विद्या परिषद् ने जिन केन्द्रों पर 400 से अधिक छात्र पंजीकृत हैं उन केन्द्रों का परीक्षाफल पूर्णतः घोषित किए जाने का निर्णय लिया। कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./750/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

8.	सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं से वेरीफिकेशन एवं ट्रान्सक्रिप्ट से सम्बन्धित शुल्क लिये जाने के प्रकरण को पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा नियंत्रक प्रकरण पर मा. कुलपति जी के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./749/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
9.	परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने का प्रस्ताव परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा जून-2018 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन क्षेत्रीय केन्द्र इलाहाबाद, मेरठ, झाँसी, आगरा, बरेली, कानपुर, फैजाबाद एवं लखनऊ पर कराये जाने पर सहमति व्यक्त की। विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./748/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा परीक्षा नियंत्रक को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
10.	परीक्षा जून-2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित नहीं की जा रहीं हैं। संज्ञानार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा समिति की 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16. 11 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष परीक्षा जून-2018 से "ब" उत्तर पुस्तिकायें परीक्षा केन्द्रों पर प्रेषित न किये जाने की सूचना से परीक्षा समिति अवगत हुई। विद्या परिषद् परीक्षा समिति की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

52.03	दिनांक 06-06-2018 को योजना बोर्ड की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।		
1.	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 28-10-2017 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
2.	योजना बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक 28-10-2017 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
3.	योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 25-01-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
4.	योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 25-01-2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
5.	योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 15-03-2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पुष्टि की गयी।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
6.	योजना बोर्ड की पिछली आपातकालीन बैठक दिनांक 15-03-2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही से अवगत होना।	अवगत होने से सम्बन्धित है।	सम्बन्धित कार्यवाही की जा चुकी है।
7.	उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं	योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में नए क्षेत्रीय केन्द्र की आवश्यकता एवं	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की

	संस्थापना पर विचार।	संस्थापना किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8.	इस विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने इस विश्वविद्यालय के समस्त क्षेत्रीय केन्द्रों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
9.	अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2018 की अनुशंसा पर विचार।	योजना बोर्ड ने अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/मापदण्ड निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 02-06-2018 की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./746/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा डॉ. पी. पी.दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
10.	कार्यदायी संस्था, सी.एण्ड डी.एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये उपभोग प्रमाण पत्र एवं उनके पत्र संख्या	योजना बोर्ड ने कार्यदायी संस्था, सी.एण्ड डी. एस., यूनिट-33, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद द्वारा विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के प्रथम तल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत किये गये उपभोग प्रमाण पत्र एवं उनके पत्र संख्या 359/निर्माण 36/7 दिनांक 27-02-2018 के आलोक में समयान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।

	359/निर्माण 36/7 दिनांक 27-02-2018 के आलोक में समयान्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु अनुबन्ध के अनुसार तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	
11.	दिनांक 31-05-2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	योजना बोर्ड ने दिनांक 31-05-2018 को उच्च सलाहकार समिति (विशिष्ट शिक्षा) की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./747/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा प्रो. पी.के. पाण्डेय, शिक्षा विद्या शाखा को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।
12.	विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/- में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05-06-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्रों को दिये जाने वाले स्थायी अग्रिम को समाप्त करने तथा अध्ययन केन्द्रों द्वारा अपने यहाँ कम्प्यूटर, स्कैनर, इण्टरनेट एवं अन्य कार्यालय संचालन व्यवस्था स्वयं उनके द्वारा ही किये जाने के कारण उन्हें भुगतान किये जाने वाले प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 50/- में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 05-06-2018 को सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया एवं क्षेत्रीय केन्द्रों पर पंजीकृत शिक्षार्थियों के प्रक्रियात्मक शुल्क की धनराशि प्रति शिक्षार्थी रु. 100/- क्षेत्रीय केन्द्र के खाते में जमा किया जाय एवं व्यय का	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./754/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा प्रभारी, प्रवेश अनुभाग को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

		समायोजन क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया।	
13.	क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी की गयी कार्यवाही से अवगत होना।	क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उपलब्ध कृषकों के भूमि को खरीदे जाने के सम्बन्ध में भूमि की बाजार दर अथवा जो भी दर नियमानुकूल हो उस दर को सत्यापित कराने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र प्रेषित किये जाने से अवगत होना। योजना बोर्ड क्षेत्रीय केन्द्र, वाराणसी हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के पास उपलब्ध कृषकों के भूमि को खरीदे जाने के सम्बन्ध में भूमि की बाजार दर अथवा जो भी दर नियमानुकूल हो उस दर को सत्यापित कराने हेतु जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र प्रेषित किये जाने से अवगत हुई। विद्या परिषद् योजना बोर्ड की अनुशंसा से अवगत हुई।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
14.	विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के तृतीय तल पर DORMITORY के निर्माण कराए जाने पर विचार।	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय में आगन्तुकों/उनके साथ आने वाले स्टाफ इत्यादि के रुकने की आवश्यकता के दृष्टिगत अतिथि गृह के तृतीय तल DORMITORY के निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया। योजना बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि DORMITORY के निर्माण हेतु विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं से आगणन प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
15.	विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक	योजना बोर्ड ने विश्वविद्यालय कार्य हेतु 01 महिन्द्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस वाहन क्रय	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की

	प्लस वाहन क्रय किये जाने पर विचार।	किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार कार्यवाही की जानी है।
16.	उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018(4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के टायलेट ब्लॉक में आंशिक संशोधन पर विचार।	योजना बोर्ड ने उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 18/2018/515/सत्तर-4-2018 (4)/2018 दिनांक 26-03-2018 द्वारा विश्वविद्यालय के तीनों परिसर में वॉशरूम (टायलेट ब्लॉक) के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान के सापेक्ष स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सरस्वती परिसर में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम कम मल्टीपरपज हॉल एवं गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के निर्माणाधीन द्वितीय तल के स्वीकृत मानचित्रों के टायलेट ब्लॉक में आंशिक संशोधन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया। विद्या परिषद् ने योजना बोर्ड की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार की जानी है।
52.04	उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को प्रवेश हेतु आधार क्रमांक अनिवार्य न किये जाने पर विचार।	विद्या परिषद् ने उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों को प्रवेश हेतु आधार क्रमांक सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।	दिनांक 07-06-2018 को सम्पन्न कार्य परिषद् की बैठक में विद्या परिषद् की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया गया। निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के पत्र संख्या ओ.यू./745/2018 दिनांक 10-07-2018 द्वारा प्रभारी, प्रवेश को पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.05

दिनांक 10-07-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 10-07-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 10-07-2018 को विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.06

दिनांक 09-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 09-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 09-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.07

दिनांक 06-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 06-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 06-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.08

दिनांक 09-07-2018 को शिक्षा विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 09-07-2018 को शिक्षा विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 09-07-2018 को शिक्षा विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया साथ ही विद्या परिषद् ने अधिन्यास सम्बन्धी प्रस्ताव को जून 2018 परीक्षा के सापेक्ष लागू किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.09

दिनांक 12-07-2018 को परीक्षा समिति की होने वाली बैठक के कार्यवृत्त पर विचार

1. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा इन योगा कार्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों तथा द्वितीय सेमेस्टर के दो प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की संस्तुति की।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

2. निम्नवत् वर्णित वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम (Elective Foundation Course)

पेपर नं०	पाठ्यक्रम कोड	पाठ्यक्रम का नाम/ Title of the Course	क्रेडिट
001	UGFHS (यू.जी.एफ.एच.एस.)	मानविकी एवं समाज विज्ञान में आधार पाठ्यक्रम Foundation course in Humanities and Social Science	4
002	UGFST	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम	4

	(यू.जी.एफ.एस.टी.)	Foundation Course in Science and Technology	
004	UGFEG (यू.जी.एफ.ई.जी.)	अंग्रेजी में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in English	4
005	UGFHD (यू.जी.एफ.एच.डी.)	हिन्दी में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in Hindi	4
006	AOCED (ए.ओ.सी.ई.डी.)	निर्यात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण Export Procedure and Documentation	4
007	AOCHE (ए.ओ.सी.एच.ई.)	मनव पर्यावरण में आधार पाठ्यक्रम Application Oriented Course in Human Environment	4
008	AOCMK (ए.ओ.सी.एम.के.)	विपणन Marketing	4
009	AOCNC (ए.ओ.सी.एन.सी.)	समुदाय और पोषण में आधार पाठ्यक्रम Application Oriented Course in Nutrition for the Community	4
270	SWM (एस.डब्लू.एम.)	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन Solid waste Management	4
010	AOCOM (ए.ओ.सी.ओ.एम.)	कार्यालय संगठन एवं प्रबन्धन Office Organization and Mngement	4
011	AOCSP (ए.ओ.सी.एस.पी.)	सचिवालय कार्यपद्धति Secretarial Practice	8
2501	DM (डी.एम.)	आपदा प्रबन्ध में आधार पाठ्यक्रम Foundation Course in Disaster Management	4

परीक्षा समिति द्वारा वैकल्पिक आधार पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्रों की परीक्षा वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) आधार पर कराये जाने की सर्वसम्मति से संस्तुति की गई।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

- 3 विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों के कतिपय प्रश्न पत्र समान पाठ्यक्रम पर संचालित है। वर्तमान में उनके लिए एक ही प्रश्न पत्र का निर्माण कराया जाता है। ऐसा करने से परीक्षा परिणाम की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कई प्रकार की समस्याएँ आती हैं। अतः ऐसे समान प्रश्न पत्रों का निर्माण भी अलग-अलग कराये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समान पाठ्यक्रम वाले विभिन्न कार्यक्रमों के प्रश्न पत्रों का निर्माण अलग-अलग कराया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

4. योगा में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा एवं पी. जी. डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु प्रयोगात्मक परीक्षाएँ प्रशिक्षण पर आधारित हो और शिक्षार्थी को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पर ग्रेडिंग के माध्यम से अंक प्रदान करने सम्बन्धी प्रकरण पर भी विचार (ये नियम सभी नये एवं पुराने (Old student's) शिक्षार्थियों पर लागू होंगे)।

योग कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि

योग में प्रमाण पत्र कार्यक्रम हेतु 4 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

योग में डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

योग में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शिक्षार्थी की सुविधानुसार संख्या एवं अभिगम्यता के आधार पर प्रशिक्षण व मूल्यांकन प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाय। प्रशिक्षण का कार्यक्रम दो सत्र (दो घण्टे) का होगा। प्रथम सत्र में शारीरिक प्रशिक्षण जैसे प्राणायाम, व्यायाम, आसन इत्यादि तथा द्वितीय सत्र बौद्धिक प्रशिक्षण जो व्याख्यान पर पर आधारित होगा। बौद्धिक प्रशिक्षण के लिये 45 मिनट का समय निर्धारित किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

5. परीक्षा की गोपनीयता, सुचिता एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये आगामी परीक्षा से सीली हुई एवं क्रमांक युक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करने पर विचार।

परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी संत्रान्त परीक्षा से सीली हुई एवं क्रमांक युक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग किया जाय।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने परीक्षा समिति की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.10

दिनांक 06-07-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 06-07-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 06-07-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.11

दिनांक 11-07-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 11-07-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 11-07-2018 को कृषि विज्ञान विद्या शाखा की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.12

विद्या परिषद् ने स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में स्वच्छता अभियान पर एक जागरुकता कार्यक्रम संचालित किये जाने का निर्णय लिया

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.13

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में सम्प्रति ऐसे क्षेत्रीय निदेशक जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा सहायक आचार्य की अर्हता धारित करते हैं, उन्हें परामर्शदाता (शैक्षणिक) के रूप में रखे जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.14

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के पदनाम को संशोधित करते हुए क्षेत्रीय समन्वयक रखे जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.15

दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जून 2018 के भी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में विचार

विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में जून, 2018 के भी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को परीक्षाफल समय पर घोषित होने की स्थिति में दिसम्बर, 2017/जून 2018 को सम्मिलित रूप से पूर्व की भाँति उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 53.16

विद्या परिषद् ने कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 28-04-2018 के संकल्प संख्या 95.03 के निर्णय को बी.एड./बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों हेतु परीक्षा जून 2018 से क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 03-08-2018 को अपराह्न 3:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 54वीं (आपातकालीन)

बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | प्रो. के.एन. सिंह,
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. ओम जी गुप्ता,
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 3. | डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 4. | डॉ. आर.पी.एस. यादव,
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. | डॉ. आशुतोष गुप्ता,
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. | प्रो. पी.के. पाण्डेय,
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. | प्रो. सुधौंशु त्रिपाठी,
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 8. | डॉ. संतोषा कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 9. | डॉ. विनोद कुमार गुप्ता,
उपा निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 10. | श्री सुनील कुमार,
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 11. | डॉ. साधना श्रीवास्तव,
असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |

12. प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा/कुलसचिव,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

सदस्य-सचिव

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (1) प्रो. राजेन्द्र प्रसाद,
कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (2) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा
- (3) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (4) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
- (5) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 54.01

दिनांक 21-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 21-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 21-07-2018 को मानविकी विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा में कतिपय निम्नलिखित संशोधनों के साथ स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया :-

1. न्यूनतम अर्हता अन्त्योदन जागरुकता कार्यक्रम एवं एकात्म मानववाद जागरुकता कार्यक्रम में 10+2 रखा गया

2. दोनों कार्यक्रम 03-03 इकाइयों के होंगे।
3. अन्त्योदन जागरुकता कार्यक्रम प्रथम एवं द्वितीय इकाई मिलाकर एक इकाई, तीसरी को दो तथा चौथी को तीन किया गया।
4. एकात्म मानववाद जागरुकता कार्यक्रम में दूसरी को पहली इकाई पहली और तीसरी को दूसरी इकाई, चौथी को तीसरी इकाई किया गया।
5. उक्त के सन्दर्भ में डॉ. महेश दत्त शर्मा द्वारा लिखित पं. दीन दयाल उपाध्याय सम्पूर्ण वांगमय पुस्तक को सन्दर्भ के रूप रखा जाय।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 54.02

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रायोगिक प्रश्न पत्रों हेतु कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचार

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रायोगिक प्रश्न पत्रों हेतु कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के प्रायोगिक प्रश्न पत्रों हेतु कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि आगामी सत्र में विचारार्थ प्रस्तुत किया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 54.03

दिनांक 26-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 26-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 26-07-2018 को समाज विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को कतिपय निम्नलिखित संशोधन के साथ स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया :-

सुशासन में जागरूक कार्यक्रम में प्रस्तावित पाठ्यक्रम को पाँचवीं इकाई को संशोधन और नैतिक मूल्य के स्थान पर नैतिक मूल्य और सुशासन किया गया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 54.04

दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर संलग्नक पृष्ठ संख्या ... पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

विद्या परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि क्लीनिकल साइक्लॉजी विषय में परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम चलाये जाने हेतु मेडिकल कालेजों एवं पैरामेडिकल कालेजों, नर्सिंग महाविद्यालयों एवं एलाइड हेल्थ साइंसेज के कालेजों तथा जिन महाविद्यालयों में मनोविज्ञान कोर्स चल रहा हो, को अध्ययन केन्द्र बनाया जाय।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 54.05

दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर संलग्नक पृष्ठ संख्या ... पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 01-08-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 54.06

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर अवस्थित भवनों तक मुख्य द्वार से WBM आधारित मार्ग का निर्माण कराये जाने पर विचार

विश्वविद्यालय के यमुना परिसर में अवस्थित भवनों तक पहुँचने में मार्ग का सर्वथा अभाव है। उक्त परिसर में क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। सम्प्रति विश्वविद्यालय में अद्यतन प्रवेश कार्य चल रहा है और शिक्षार्थियों/अभिभावकों/अध्ययन केन्द्र समन्वयकों एवं अन्य का आवागमन अत्यधिक है। वर्तमान में अत्यधिक वर्षा होने के कारण शिक्षार्थियों/अभिभावकों/अध्ययन केन्द्र समन्वयकों एवं अन्य के चोटिल होने की सम्भावना बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए परिसर के मुख्य द्वार से अवस्थित भवनों तक WBM आधारित मार्ग का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।


चूँकि तत्काल योजना बोर्ड की बैठक बुला पाना सम्भव न होने के कारण उक्त निर्माण कार्य पर योजना बोर्ड के वाह्य सदस्यों से मा. कुलपति जी के दूरभाष पर स्वीकृति प्राप्त की गई एवं योजना बोर्ड के आन्तरिक सदस्यों से भी स्वीकृति प्राप्त की गयी।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के यमुना परिसर अवस्थित भवनों तक मुख्य द्वार से WBM आधारित मार्ग का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 18-08-2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 55वीं

(आपातकालीन) बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | प्रो. के.एन. सिंह,
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. ओम जी गुप्ता,
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 3. | डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 4. | डॉ. आर.पी.एस. यादव,
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. | डॉ. आशुतोष गुप्ता,
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. | प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. | प्रो. पी.के. पाण्डेय,
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 8. | प्रो. सुधौंशु त्रिपाठी,
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 9. | डॉ. संतोषा कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 10. | डॉ. विनोद कुमार गुप्ता,
उपा निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 11. | श्री सुनील कुमार,
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |

12. डॉ. साधना श्रीवास्तव, सदस्य
असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
13. (डॉ.) अरुण कुमार गुप्ता, सदस्य-सचिव
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (1) प्रो. राजेन्द्र प्रसाद,
कुलपति, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (2) डॉ. अरविन्द दीक्षित,
कुलपति, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय,
आगरा
- (3) प्रो. के.एस. मिश्र,
डीन, (कला संकाय) इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (4) प्रो. बी.एम. शर्मा,
फारमर चेयरमैन, आर.एस.पी.एस.सी.,
पूर्व कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय (राजस्थान)
- (5) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय कुलपति जी ने सम्मानित सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया। माननीय कुलपति जी ने नये कुलसचिव, डॉ. अरुण कुमार गुप्ता का विद्या परिषद् के अन्य सम्मानित सदस्यों से परिचय कराया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 55.01

UGC (ODL) Regulation 2017 के मानकानुसार विभिन्न विद्या शाखाओं के Disciplines (विषयों) में शासन से मांगे जाने वाले शैक्षणिक पदों पर विचार

UGC (ODL) Regulation 2017 के मानकानुसार विभिन्न विद्या शाखाओं के Disciplines (विषयों) में शासन से मांगे जाने वाले शैक्षणिक पदों की सूची सलग्नक..... पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने UGC (ODL) Regulation 2017 के मानकानुसार विभिन्न विद्या शाखाओं के Disciplines (विषयों) में शासन से मांगे जाने वाले शैक्षणिक पदों की संलग्न सूची को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 55.02

विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेण्डर में जुलाई एवं जनवरी सत्र हेतु प्रवेश की तिथियों को प्रतिस्थापित किये जाने पर विचार

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेण्डर में जुलाई एवं जनवरी सत्र हेतु प्रवेश की तिथि क्रमशः जुलाई सत्र 01 जून से 15 सितम्बर तक एवं जनवरी सत्र हेतु 15 नवम्बर से 15 फरवरी तक किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 55.03

दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में दिनांक 30 अगस्त, 2018 तक उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि दिये जाने पर विचार

विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले दीक्षान्त समारोह में दिनांक 30 अगस्त, 2018 तक उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को उपाधि दिये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 55.04

बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) कार्यक्रमों के कुछ वैकल्पिक प्रश्न पत्रों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किये जाने पर विचार (सलग्नक..... पृष्ठ संख्या

विद्या परिषद् ने विद्या परिषद् के सदस्य प्रो. पी.के. पाण्डेय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को यथावत स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 55.05

बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के विलम्बित सत्रों को नियमित किये जाने हेतु गठित समिति के अनुशंसा पर विचार (सलग्नक..... पृष्ठ संख्या)

विद्या परिषद् ने विद्या परिषद् के सदस्य प्रो. पी.के. पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत बी.एड. एवं बी.एड. (विशिष्ट शिक्षा) के विलम्बित सत्रों को नियमित किये जाने हेतु गठित समिति के अनुशंसा को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 55.06

स्वर्ण पदक के निमित्त दानदाताओं के पदनाम पर दिए जा रहे मेडल पर विचार

विद्या परिषद् ने दानदाता के पदनाम पर स्वर्ण पदक न देकर केवल उसके नाम पर स्वर्ण पदक दिये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 55.07

विद्या परिषद् ने विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित गेट नम्बर 02 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई जी के स्मृति में "अटल स्मृति द्वार" नामकरण किये जाने का निर्णय लिया।

कार्य सूची बिन्दु संख्या 55.08

परीक्षा जून 2018 के परिणामों को घोषित किये जाने हेतु गठित समिति से अवगत होना


विश्वविद्यालय के होने वाले 13वे दीक्षान्त समारोह की तिथि दिनांक 18-09-2018 को निर्धारित है। अतः उक्त के दृष्टिगत परीक्षा जून 2018 के परिणामों को घोषित करने की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए मा. कुलपति जी ने निम्नलिखित की समिति गठित की है :-

1. डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा
2. प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ल, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा
3. कुलसचिव
4. परीक्षा नियंत्रक

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् परीक्षा जून 2018 के परिणामों को घोषित किये जाने हेतु गठित समिति से अवगत हुई।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


(डॉ.) अरुण कुमार गुप्ता
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 17-09-2018 को अपराह्न 2:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 56वीं

बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | प्रो. के.एन. सिंह,
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | प्रो. बी.एन. सिंह,
पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 3. | डॉ. ओम जी गुप्ता,
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 4. | डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. | डॉ. आर.पी.एस. यादव,
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. | डॉ. आशुतोष गुप्ता,
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. | प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 8. | प्रो. पी.के. पाण्डेय,
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 9. | प्रो. सुधांशु त्रिपाठी,
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 10. | डॉ. संतोषा कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 11. | श्री सुनील कुमार,
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 12. | डॉ. साधना श्रीवास्तव,
असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य |
| 13. | डॉ. जी.के. द्विवेदी,
परीक्षा नियंत्रक,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | विशेष आमंत्रित |
| 14. | (डॉ.) अरुण कुमार गुप्ता,
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद | सदस्य-सचिव |

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (01) डॉ. एस.पी. सिंह,
कुलपति,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
- (02) प्रो. पी.सी. शुक्ल,
पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
(304, जेमिनी गार्डनिया, तारा मण्डल, गोरखपुर-273017)
(30-4, मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद-211004)
- (03) प्रो. सदानन्द गुप्त,
अध्यक्ष, हिन्दी साहित्य संस्थान,
लखनऊ
- (04) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (05) डॉ. विनोद कुमार गुप्ता,
उपा निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
- (06) श्री ए.के. सिंह,
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का स्वागत किया। कुलपति जी ने विद्या परिषद के नवनियुक्त सदस्य प्रो. बी.एन. सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद (30-4, मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद-211004) का भी स्वागत किया एवं अन्य सदस्यों से उनका परिचय कराते हुए उनसे विश्वविद्यालय की प्रगति में सहयोग देने की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 56.01

दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार

विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उपाधि दिये जाने हेतु पूर्ण सूची के अनुमोदन पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने निर्णय लिया कि दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट दिये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत पूर्ण सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 56.02

दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार

विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची के अनुमोदन पर विचार किया।


विद्या परिषद् ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को आयोजित होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह में दिसम्बर 2017/जून 2018 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी एवं प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों में से अर्ह परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, कुलाधिपति स्वर्ण पदक एवं दानदाता स्वर्ण पदक दिये जाने हेतु प्रस्तुत सूची को स्वीकृत करते हुए कार्य परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 56.03

दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से अवगत होना।

कुलपति जी ने दिनांक 18 सितम्बर, 2018 को होने वाले तेरहवें दीक्षान्त समारोह की तैयारियों से सभी सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


(डॉ.) अरुण कुमार गुप्ता
कुलसचिव

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

दिनांक 29-10-2018 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय के कमेटी कक्ष में सम्पन्न विद्या परिषद् की 57वीं
(आपातकालीन) बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

- | | | |
|-----|--|---------|
| 1. | प्रो. के.एन. सिंह,
कुलपति,
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | अध्यक्ष |
| 2. | डॉ. ओम जी गुप्ता,
निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 3. | डॉ. प्रेम प्रकाश दुबे,
निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 4. | डॉ. आर.पी.एस. यादव,
निदेशक, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 5. | डॉ. आशुतोष गुप्ता,
निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 6. | प्रो.(डॉ.) जी.एस. शुक्ल
निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा
उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 7. | प्रो. पी.के. पाण्डेय,
शिक्षा विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 8. | प्रो. सुधांशु त्रिपाठी,
समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 9. | डॉ. संतोषा कुमार,
एसोसिएट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 10. | डॉ. विनोद कुमार गुप्ता,
उपा निदेशक/एसोसिएट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |
| 11. | श्री सुनील कुमार,
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाज विज्ञान विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद | सदस्य |

12. डॉ. साधना श्रीवास्तव, सदस्य
असिस्टेंट प्रोफेसर, मानविकी विद्या शाखा,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
13. (डॉ.) अरुण कुमार गुप्ता, सदस्य-सचिव
कुलसचिव,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

निम्नलिखित सदस्य बैठक में उपस्थित न हो सके :

- (01) डॉ. एस.पी. सिंह,
कुलपति,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
- (02) प्रो. पी.सी. शुक्ल,
पूर्व संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय,
दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
(304, जेमिनी गार्डनिया, तारा मण्डल, गोरखपुर-273017)
(30-4, मोती लाल नेहरू रोड, इलाहाबाद-211004)
- (03) प्रो. सदानन्द गुप्त,
अध्यक्ष, हिन्दी साहित्य संस्थान,
लखनऊ
- (04) प्रो. बी.एन. सिंह,
पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (05) प्रो. एच.एस. उपाध्याय,
दर्शनशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद
- (06) श्री ए.के. सिंह,
वित्त अधिकारी,
उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

कार्यसूची के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व कुलपति जी ने सभी सदस्यों का अभिनन्दन एवं स्वागत किया तथा उनके सहयोग की अपेक्षा की।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 57.01

दिनांक 11-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार

दिनांक 11-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।

अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 11-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।

कार्यसूची बिन्दु संख्या 57.02

दिनांक 24-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा पर विचार


दिनांक 24-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा संलग्नक पृष्ठ संख्या पर उपलब्ध है।


अतः प्रकरण विद्या परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विद्या परिषद् ने प्रश्नगत बिन्दु पर विचार किया।

विद्या परिषद् ने दिनांक 24-10-2018 को स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा बोर्ड की सम्पन्न बैठक की अनुशंसा को यथावत स्वीकार किया।


अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।


डॉ. (अरुण कुमार गुप्ता)
कुलसचिव



82

PPOSED CONSTRUCTION OF IPURPOSE HALL AT U.P. SHI TONDON OPEN RSITY, YAMUNA COMPOUND (AGRA).	DRG. TITLE GROUND FLOOR PLAN	ARCHITECT	CLIENT:- U.P. RAJARSHI TONDON OPEN UNIVERSITY ALLAHABAD	CONSULTANTS CIVIL GROUP 5-B, SARDAR PATEL MARG, CIVIL LINE, ALLAHABAD TEL. NO. - 0532-2408915 +91 9415218674	
	AREA 657.55 sq. mt.	DRAWN BY :- RICHA SRIVASTAVA	CONSTRUCTION AGENCY:- RURAL ENGINEERING DEPARTMENT. (R.E.D.)		



4.2 M W I D E V E R A N D A H

HALL
13.800 X 30.000

DRG. TITLE
FIRST FLOOR PLAN



ARCHITECT **83**

AGENCY
V.P. RAJARSHI
TONDON OPEN
UNIVERSITY
01144HABAD

CONSULTANTS
CIVIL GROUP
5-8, SARDAR PATEL
MARG, CIVIL LINE,
ALLAHABAD




AREA

DRAWN BY

CONSTRUCTION AGENCY

PO
TH
AR
EI



POSED CONSTRUCTION OF
PURPOSE HALL AT U.P.
RAJARSHI TONDON OPEN
UNIVERSITY, YAMUNA COMPOUND
YAGRAJ.

DRG. TITLE
SECOND FLOOR PLAN



ARCHITECT 84

AGENCY
U.P. RAJARSHI
TONDON OPEN
UNIVERSITY
ALLAHABAD

CONSULTANTS
CIVIL GROUP
S-B, SAFDAR PATEL
MARG, CIVIL LINE,
ALLAHABAD
TEL. NO. - 0532-240915



AREA

DRAWN BY -

CONSTRUCTION AGENCY -
RURAL ENGINEERING

र.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद


विश्वविद्यालय के गंगा परिसर स्थित प्रशासनिक भवन के बेसमेन्ट पर स्थित टॉयलेट के उपयोग अथवा अनुपयोग की स्थिति पर विचार करने एवं गंगा परिसर में स्थित अतिरिक्त टॉयलेट को डारमेट्री में परिवर्तित करने की सम्भावनाओं के साथ ही राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष तृतीय वॉशरूम (टॉयलेट ब्लॉक) के निर्माण स्थल के चिह्नित करने हेतु विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./1995/2019 दिनांक 14-02-2019 द्वारा गठित समिति की दिनांक 15-02-2019 को को मध्याह्न 12:00 बजे कुलसचिव कक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :-

उपस्थिति :-

1. डॉ. ओमजी गुप्ता, निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विद्या शाखा
2. डॉ. पी.पी. दुबे, निदेशक, कृषि विज्ञान विद्या शाखा
3. डॉ. आर.पी.एस. यादव, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा
4. डॉ. आशुतोष गुप्ता, निदेशक, विज्ञान विद्या शाखा
5. प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ला, निदेशक, स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा
6. प्रो. पी.के. पाण्डेय, प्रभारी, शिक्षा विद्या शाखा
7. प्रो. सुधांशु त्रिपाठी, प्रभारी, समाज विज्ञान विद्या शाखा

समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित स्थलों के निरीक्षण करते हुये सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित संस्तुतियां की गयी :-

1. प्रशासनिक भवन के बेसमेन्ट पर स्थित टॉयलेट का उपयोग पाठ्य सामग्री वितरण विभाग के श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत समिति ने संस्तुत किया कि उक्त टॉयलेट को यथावत रखना उपयुक्त होगा तथा टॉयलेट के दरवाजे आदि की मरम्मत एवं साफ-सफाई किये जाने की आवश्यकता है।
2. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष तृतीय वॉशरूम (टॉयलेट ब्लॉक) के निर्माण स्थल के सम्बन्ध में विचार करते हुए समिति ने संस्तुत किया कि गंगा परिसर स्थित पूर्व में निर्मित आगन्तुकों हेतु प्रसाधन कक्ष (टॉयलेट ब्लॉक) के पीछे के रिक्त स्थान का उपयोग तृतीय टॉयलेट ब्लॉक हेतु किया जा सकता है।
3. समिति ने संस्तुत किया कि गंगा परिसर स्थित वर्तमान प्रसाधन कक्ष (टॉयलेट ब्लॉक) एवं प्रस्तावित तृतीय टॉयलेट ब्लॉक के ऊपर डारमेट्री का निर्माण कराया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है एवं वर्तमान प्रसाधन कक्ष के (टॉयलेट ब्लॉक) को तात्कालीन आवश्यकतानुसार परिवर्तित कराया जा सकता है।



(डॉ. ओमजी गुप्ता)



(डॉ. पी.पी. दुबे)


(डॉ. आर.पी.एस. यादव)


(डॉ. आशुतोष गुप्ता)


(प्रो. (डॉ.) जी.एस. शुक्ला)


(प्रो. पी.के. पाण्डेय)


(प्रो. सुधांशु त्रिपाठी)

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
शान्तिपुरम (सेक्टर-एफ), फाफामऊ, इलाहाबाद
कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय के पत्रांक ओ.यू./1286/2018 दिनांक 04.10.2018 के अनुसार IPR, Patent एवं Copyright Policy के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.11.2018 को निदेशक प्रबंधन अध्ययन विद्या शाखा के कक्ष में पूर्वाह्न 11:30 बजे संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए-

- | | |
|---------------------------|--------|
| 1. प्रो. ओमजी गुप्ता | संयोजक |
| 2. प्रो. पी. पी. दुबे | सदस्य |
| 3. प्रो. आर. पी. एस. यादव | सदस्य |
| 4. प्रो. आशुतोष गुप्ता | सदस्य |
| 5. प्रो. जी. एस. शुक्ल | सदस्य |
| 6. प्रो. पी. के. पाण्डेय | सदस्य |
| 7. प्रो. सुधांशु त्रिपाठी | सदस्य |

समिति के सदस्यों ने विश्वविद्यालय की एकीकृत IPR, Patent एवं Copyright Policy के सम्बन्ध में आहूत विभिन्न बैठकों में गहन विचार विमर्श व चर्चा कर सम्यक विचारोपरांत IPR Policy का आर्किव तैयार किया है जो मूल रूप में संलग्न है।



प्रो. ओमजी गुप्ता



प्रो. पी. पी. दुबे
30-11-2018


प्रो. आर. पी. एस. यादव
30-11-18


प्रो. आशुतोष गुप्ता
30/11/18


प्रो. जी. एस. शुक्ल


प्रो. पी. के. पाण्डेय
30/11/18


प्रो. सुधांशु त्रिपाठी

ORDINANCE
FOR
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS POLICY (IPR-POLICY)
OF
U.P. RAJARSHI TANDON OPEN UNIVERSITY
ALLAHABAD

Chapter	Title
1.	Preamble
2.	The Policy Objectives
3.	Commencement of the Policy
4.	Definitions
5.	Ownership of Intellectual Property
6.	Creation of intellectual property
7.	Responsibilities of the University
8.	Responsibilities of the creator(s)
9.	Intellectual Property Rights Cell (IPR-Cell)
10.	Registration of Patents / copyrights
11.	Share of the University, Inventor/Creator and Assistants
12.	Renewal of Patents
13.	Transfer of IP
14.	Dispute Resolution
15.	Miscellaneous


07

1. Preamble

The U.P. Rajarshi Tandon Open University, Allahabad (*hereinafter referred to as UPRTOU*) established under the Act No. 10/1999 of UP Government Legislature, is committed to increase access to quality higher education through appropriate use of open and distance learning methods, including through provisions of open distance and lifelong learning opportunities. Provision of quality learning materials forms an important strategy in providing access to quality education, and the affordances of information and communication technologies including the Internet and World Wide Web has enabled anyone to gain access educational resources at anytime, anywhere.

The University is dedicated to facilitate and promote studies and research in emerging areas of higher education with focus on new frontiers in science, arts and social sciences, agriculture, commerce and management studies, health sciences and non-conventional energy sources to achieve excellence in these and connected fields.

In the responsibility of producing and spreading knowledge there is inherent ought to encourage creativeness and intellectual works for the developments of materials, devices, processes and other intellectual property. In the University, faculty members and research scholars are engaged in research and development work of significant importance. Such works might cause evolution of intellectual property know-how, copy-rights, designs, instruments, specimen, software and alternative inventions having potential for commercialization with or without the registration under totally different acts enacted by the government for cover of intellectual properties.

The creation of intellectual property not solely contributes to the skill development of the people concerned, however additionally enhances the name of the University, provides instructional opportunities and promotes public welfare. Notably, a commercial exploitation of the intellectual property is of considerable socio-economic benefits to the state as well as the country.

The University is committed to provide an environment where innovation will flourish and people collaborating in these endeavors will be suitably rewarded for his or her efforts. Simultaneously, the University additionally acknowledges that certain intellectual properties will be developed as results of the environment and the facilities provided by the University so that a special relationship between the University and its staff and students can resume in a better way.

In order to ascertain the individual rights and obligations of the University, its faculty, students, and other employees in intellectual Property of all kinds now and hereafter existing, the University is adopting these Ordinances governing Intellectual Property Right Policy (*hereinafter cited as the "Policy"*). These Ordinances shall govern the Intellectual Property Rights of the University, faculty members, students and others on the work, product, ideas and inventions created in reference to the activities of the University.

2. The Policy Objectives

The University has formulated this policy for the management of intellectual property:

- (i) to foster, stimulate and encourage creative activities in the widest sense in the areas of science, arts and social sciences, agriculture, commerce and management studies, health sciences and non-conventional energy sources;
- (ii) to protect the legitimate interests of the University, faculty, scholars, students and other stakeholders of the University and the society at large and to help resolving possible conflicts of opposing interests;
- (iii) to put in place a transparent administrative system for the ownership control and assignment of intellectual properties and sharing of the revenues generated by the intellectual properties developed and owned by the University;
- (iv) to evolve an organization structure and procedures through which inventions and discoveries made in the course of University research may be made readily available to the public through channels of commerce;


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and initials 'BB' and 'G' on the right.

- (v) to establish standards for determining the rights and obligations of the University, creator of intellectual property (for example inventors, developers and authors) and their sponsors with respect to inventions, discoveries and works created at the University;
- (vi) to ensure compliance with applicable laws and regulations and enable the University to secure sponsored research funding at all levels of research;
- (vii) to enhance the reputation of the University as an academic research institution; and
- (viii) to provide the mechanism for preservation and use of intellectual property and procedures through which invention and discoveries made in the course of University research are disseminated to the public through the transfer of technology.

3. **Commencement of the Policy:** These Ordinances shall come into effect from the date of approval granted by the Executive Council of the University.

4. **Definitions:**

- (i) **Assignment** means transfer of rights or title of the intellectual property in writing.
- (ii) **Copy-right** is the exclusive right granted by law for a certain period of time to an author to reproduce, print, publish and sell copies of his/her creative work.
- (iii) **Copy-rightable materials:** include
 - (a) books, journal articles, texts, glossaries, laboratory, manuals, syllabi, tests and proposals, study guides, bibliographies;
 - (b) Lectures, Programmed instructional materials; musical or dramatic compositions, unpublished scripts;
 - (c) films, filmstrips, charts, transparencies, and other visual aids, Video-audio tapes and cassettes, live video and audio broad-casts;
 - (d) Research notes, research data reports and research note books; and
 - (e) other materials or works other than software which qualify for protection under the Indian Copy-right Act.
- (iv) **Creator(s)** include any employee of the University whether employed full time or part time or on probation or temporary basis either in the University and/or in projects and those who are research workers, research scholars or students or project fellows who are responsible for the creation of an intellectual property using the facilities of the University.
- (v) **Confidential disclosure** means an agreement between disclosing and recipient parties or a term in a research contract or license agreement.
- (vi) **Direct Expenses** include the costs associated with the development, protection, maintaining and licensing of intellectual property, including the regular payment of salaries or other overhead costs of the University.
- (vii) **Educational materials** comprise the content and associated tools and technologies for delivery of content, including material developed for traditional face to face class room courses and for open and distance learning counseling classes as well as other delivery methods such as through internet or other distance learning media. For the purpose of this policy, educational materials do not normally include works such as text books, articles, papers, scholarly monographs or artistic works produced in the normal course of academic scholarship.
- (viii) **Invention disclosure** means a written description of an invention that is confidentially made by the inventor to the University.
- (ix) **Intellectual Property** shall include any property generated out of intellectual effort of the creator (s). It includes but not limited to:
 - (a) new and useful scientific and technical advancement in the form of innovations, inventions, products and processes, computer hardware and software, materials, biological varieties which are patentable;



 09

- (b) industrial and architectural designs, models, software, creative, artistic and literary works, teaching resource materials generated, records of research etc, which are copy-rightable; and
- (c) trademarks, service marks, logos etc.
- (x) **Know-how** refers to the knowledge, innovations, practices, expertise, processes or procedures, and secrets of individuals regarding the use of material, product or resource, or the practice of a method for a particular purpose.
- (xi) **Patent and patentable materials** are as defined in Indian Patent Act 1970 and further amended from time to time. The patentable material includes discoveries and inventions of new products and processes.
- (xii) **Patentee** means the person for the time being entered on the register of patents kept under the Indian Patent Act as the generator or proprietor of the patent.
- (xiii) **Publication** means a public enabling disclosure of an invention and may be verbal or printed. Printed publication includes abstracts, student theses and in certain instances, grants proposals.
- (xiv) **Revenue** means any payment received as per an agreement by the University, usually for legal use of an intellectual property of the University through a license.
- (xv) **University Research** means any research or development activity which is undertaken by the University, or which is related to duties and responsibilities for which a person is compensated by the University, or which is conducted with substantial use of University facilities, or resources.
- (xvi) **University Resources** means all tangible resources provided by the University to creators, including office, lab, studio space and equipment; computer hardware, software, support; secretarial service; research, teaching, and lab assistants; supplies; utilities; funding for research and teaching activities, travel; and other funding or reimbursement. "University resources" do not include payment of regular salary, insurance, or retirement plan contributions paid to, or for the benefit of, creators.

5. Ownership of Intellectual Property

The University shall be the owner of all intellectual properties including inventions, softwares, designs, specimens, created by creators as a result of University research or created by substantial use of University facilities.

Specific provisions relating to IPR made in contracts governing the collaborative /sponsored activity shall determine the ownership of IP in case of sponsored or collaborative research. Usually where there has been external corporate, foundation, trust, Government or industrial funding of any project, the intellectual property generated from such a project shall owned by the University, creator of intellectual property and the funding agency jointly provided such agency has provided Rs. 10/- lac. or more for a particular research/invention /intellectual creation under a specific agreement with the University. An IPR in this University shall be managed by the IPR Cell of the University.

The creator of the intellectual property on a mutual agreement may assign his/her IPR to the University to be managed by the IPR cell. If the University cannot, or decides not to proceed in a timely manner to protect intellectual property, it shall assign ownership to the creator upon request to the extent prompted by these ordinances and third party agreements if any.

Exceptions to the ownership The creator of the intellectual property may opt to retain the ownership of the following:

- (a) all intellectual properties developed without substantial use of the University;
- (b) all rights in artistic, literary and scholarly intellectual property such as scholarly books articles and other publications including those in electronic mode, art works, literature and music recordings shall belong to the creators despite use of the University resources so long as such works are not

90



- the projects of University research, neither created under the direction and control of the University, nor developed in the performance of a sponsored research or third party agreement;
- (c) all copyrights in papers, theses and dissertations written as a student to earn credit in University courses or otherwise to specify University degree requirements; and
 - (d) the University faculty and students may freely published research of their result provided such research does not to leave copyrightable/patentable intellectual property.

6. Creation of intellectual property

Intellectual Property consisting of Patentable or Copyrightable material can be created in the University in the following three ways:

- (a) University undertake an assignment either from an external agency or by its own decision to take up creation of a specific Copyrightable or Patentable material and assign a team of its researchers to accomplish it;
- (b) Individual researchers or a team of researchers may develop copyrightable or patentable material during the course of their research or as a specific Project; and
- (c) An external funding agency, be it a Foundation, Government, Trust, Industry, Commercial undertaking or a company may enter into a specific agreement with the University and research/team of researchers to develop some specific Copyrightable or Patentable material.

7. Responsibilities of the University

- (a) To assign, at its discretion, the management including patenting/copyrighting, negotiating and assigning or licensing commercial use of such intellectual property in which it has stake/share to a specified agency created for this purpose under such terms as the University may consider reasonable or University may manage such intellectual property through IPR Cell. Provided however that if the specialist agency or IPR Cell, as the case may be, fails to serve patent/copyright within one year of Patentable/copyrightable material being made available by the inventor/creator or fails to assign /license patented/copyrighted material to economic use, during further period of one year, the inventor/creator will have the right to withdraw right of the inventor/creator will have the right to withdraw right of management of patentable/copyrightable or patented/copyrighted material to himself and take further action to manage it himself and thereupon the right of the specialist agency/IPR Cell to manage it will stand terminated.
- (b) To make aware the faculty members, staff and other scholars regarding University's intellectual property.
- (c) To provide support as it deems necessary or desirable to obtain legal protection of intellectual property in which University has stake/share.
- (d) To facilitate the transfer of such intellectual property for economic use and develop mechanisms within these statutes for the assignment and management of Intellectual Property.
- (e) To provide legal support as it deems necessary and desirable to defend and protect the interests of the University and the creators of the intellectual property against third party claims or unauthorized use.
- (f) To impart information to research sponsors as required by research and Licensing agreements, and applicable laws and regulations in a timely manner.

8. Responsibilities of the creator(s)

- a) To make an invention disclosure in a thorough and timely manner of all inventions, discoveries and other works that are patentable/copyrightable and in which University has stake/share as described in this Ordinance.
- b) To provide such assistance as may be necessary throughout the assignment process to protect and affect transfer of the intellectual property.
- c) To return all records and documents which are necessary for the protection of the intellectual property.

91 

- d) To abide by all commitments made in license, sponsored research and other agreements made in accordance this Ordinance.
- e) To cooperate with the University with full responsibility in resolving all conflicts as may arise with respect to the IPs concerning to him/her and to make timely disclosure of such information which may hint towards any potential conflict relating to IP.
- f) To manage, including bearing patent / copyright, assigning it for economic use or licensing it similarly on terms to be finalized jointly by Chairman of IPR Cell, inventor/creator and financing agency if any for the research project which lead to such an invention/creation, in situation referred to in 7(a) when inventor/creator has withdrawn the right of management of intellectual property from the specialist agency of IPR Cell due to their non-performance. Provided that income from any such assignment/licensing for economic use will necessarily be receivable by the University in totality and distribution of inventor's/creator's and financing agency's share will be the exclusive responsibility of the University.

9. Intellectual Property Rights Cell (IPR Cell)

(1) There shall be an Intellectual Property Rights Cell (IPR Cell) for the management of the intellectual property in which the University has stake/share, technology transfer activities and for the implementation of the I.P. Policy. Particular attention shall be paid by the IPR Cell to the preservation of intellectual property, management, budget, and division of intellectual property income and the resolution of disputes. The IPR Cell shall make recommendations to the Vice-Chancellor. The IPR Cell shall consist of the following:

- (i.) The Vice-Chancellor - Chairman
- (ii.) One Intellectual Property Advisor having experience in the field of intellectual property laws to be engaged by the University.
- (iii.) Directors of all schools
- (iv.) Upto two other faculty members not below the rank of Associate Professor to be nominated by the Vice-Chancellor.

Five shall constitute to quorum.

- (2) The meeting of the IPR Cell shall be convened by the Chairman from time to time. The term of the committee shall be one year. The IPR Cell shall lay down its own procedure for conduct of its business.
- (3) The University shall provide adequate support and secretarial staff headed by the Registrar for smooth functioning of the cell.

The responsibilities or the functions of the IPR Cell shall include amongst other following:

- (a) to assign management, utilization, licensing and protection of intellectual property in which University has a stake/share, to the expert agency created by the CSIR for this purpose or to publish or advertise the intellectual property as it deems appropriate;
- (b) to endeavor to negotiate and manage agreements to the best advantage of the creator and the University as are consistent with the Intellectual Property Policy and guidelines;
- (c) to provide all legal support as deemed necessary or desirable for the protection of University's intellectual property;
- (d) to prepare legal instruments necessary to realize the technology transfer objective;
- (e) to provide legal and administrative support following such realization as needed; and
- (f) to manage conflicts of interest, including negotiating agreements which are consistent with the Act and the Statutes.

10. Registration of Patents / copyrights

- (a) **Filing of application in India** : The creators of know-how / designs / instruments / devices / processes / specimens and other such IPs who want to get patents for the patentable IPs and / or transfer thereof for commercial exploitation will be required to make an application for the purpose to the Chairman, IPR Cell. If any creator(s) consider its necessary to obtain immediate



protection for safeguarding interest of the creator(s), a professional patent may be directly applied by the creator(s) after obtaining the permission from the University and simultaneously apply for the evaluation of the IP by the University as per the prescribed procedure. In case the University decides to take the patent in the name of the University (Registrar of the University Jointly with Creator or Team), the expenses incurred by the creator(s) for obtaining the professional patent protection will be reimbursed to the creator(s) by the University.

The University employees associated with any activity of the University shall treat all IPR related information as confidential. Such confidentiality shall be maintained till the date as demanded by the University or the relevant contract between the concerned parties, unless such knowledge is in the public domain or is generally available to the public.

- (b) **Filing of Application in Foreign Countries:** The University may consider requests for registration of Patents in foreign countries based on the merit of the IP. If the University decides not to file such a patent in any foreign country, the University shall assign rights of IP in that country to the creator(s) for the purpose of such protection, if the creator so desires.

11. Share of the University, Inventor/Creator and Assistants

The net earnings from the commercialization of IP owned by the University would be distributed as follows:

- a. When University is the Creator, the income from economic use of intellectual property will be shared amongst the University, Research Team members and Support Staff as 50%, 40% and 10% respectively.
- b. When the Individual researcher or a team of researchers is the Creator and has used substantial University resources, the Revenue shall be shared amongst the individual researcher/team of researchers, the University and Support Staff as 50%, 40% and 10% respectively.
- c. When the creation is the result of funded research, the income from economic use to be received from the Institution funding the research will be on revenue sharing basis at the level determined in the agreement assigning economic use of intellectual property to that Institution when it is the economic user. In such cases the income shall be shared between the team of researchers, the University and support staff as 50%, 40% and 10% respectively.
- d. When a Company, Industry or Commercial Undertaking other than Funding Institution is the economic user the income receivable from the economic user will be as provided in the licensing agreement with that Company, Industry or Commercial Undertaking. Such income will be shared as 50%, 50% between the Funding Agency and the University. The University will distribute the income it so derives to itself, researcher/team of researchers and support staff as in the preceding para.
- e. The shares as mentioned above shall be determined after deducting the direct expenses if any from the total income received by the University.
- f. The creator(s) share would be declared annually and disbursement will be made to the creator(s) or their legal heir, whether or not the creators are associated with the University at the time disbursement.
- g. Co-creators that are research team members of IP shall sign at the time of disclosure a distribution of IP earnings agreement, which shall specify the percentage distribution of earnings from IP to each co-inventor. The co-owners of intellectual property may at any time by mutual consent revise the distribution of IP Earnings.

12. Renewal of Patents

The University will pay the Patent Fees for the first seven years in all cases where patent is taken by the University (Registrar of the University Jointly with Creator). If it is a joint patent with a sponsoring agency, the patenting costs may be equally shared. If the patent has been commercially exploited within the first seven years, the University shall pay the Patent Fees for the remaining period of the life of the patent. If the patent has not been commercially exploited within the first

93



7

seven years, the University and the creator(s) shall share the subsequent installments of renewal fees on 50-50 basis. If the creator does not show interest in such renewals, the University can either continue the patent by paying the fees for its full term or withdraw application for the patent protection at its discretion.

13. Transfer of IP

a) The creator shall make a confidential disclosure to the Patent Attorney/ Legal Expert/IPR Cell in writing as soon as possible if the University has an ownership interest and if the intellectual property/technology may be patentable, copyrightable or has potential for commercialization and licensing. The IPR Cell will provide disclosure forms on request. The creator may consult IPR Cell with respect to his duties to disclose inventions and the manner and timeliness with which such disclosures should be made to the IPR Cell.

The disclosure should contain sufficient detail to convey a clear understanding to the extent known at the time of the disclosure, of the nature, purpose, operation and technical characteristics of the creation. The creator(s) should also be responsible to update the IPR Cell in a timely manner of any developments involving publications, sale or use of which he becomes aware after the confidential disclosure.

- (b) If the creator claims an ownership interest in intellectual property or has a question about whether an assignment must be made to the University, the intellectual property shall be disclosed to the IPR Cell and the claim or question clearly stated. The University, through the IPR Cell, will provide a determination of rights within a reasonable time following submission, generally not to exceed 90 days. The determination may be appealed to the Vice-Chancellor for a final adjudication.
- (c) The IPR Cell will evaluate inventions and other intellectual property disclosed to the IPR Cell to suggest the form of intellectual property protection, if any, that should be considered and also the potential for commercial exploitation. Thereupon it shall either assign the task of securing patent/copyright in the intellectual property and of managing its subsequent economic use to the specialist agency or do so itself in a timely and efficient manner. Direct expenses associated with obtaining protection for intellectual property in which University has stake/share shall be borne by the University if such intellectual property is being managed by the IPR Cell, by the specialist agency if University has entrusted management of a particular intellectual property to it and by the creator/inventor if he has withdrawn management of intellectual property from specialist agency /IPR Cell on grounds of non-performance.
- (d) The University or its agents or the creator after obtaining approval from the Vice-Chancellor may approach external agencies for commercial exploitations. All agreements shall be signed by the Registrar of the University on the recommendations of IPR Cell and the creator of the IP being transferred, on behalf of the University.
- (e) In case of IP involving more than one creator, a coordinator from among the creators shall be identified by the creators, for IP protection purposes. At this stage all members of the group of creators shall sign a revenue sharing agreement for the IP, as and when they accrue. This revenue sharing agreement may be modified at any time on mutual consent among the creators and intimated to the Chairman IPR Cell. Any conflict with regard to revenue sharing among the creators will be resolved by the University and the same will be binding on all the creators of the IP.

14. Dispute Resolution

Any disputed issue related to the intellectual property or the interpretation of these Ordinances, shall be decided as follows:

- i) Any disputed issue that cannot be resolved with the assistance of the IPR Cell shall be referred to a tribunal of Arbitration at the instance of the University or at the request of the inventor or funding agency. The decision of this tribunal of Arbitration shall be final between the parties

94



Handwritten signatures and initials, including the number 94, are present at the bottom of the page.

for any disputed issue related to intellectual property, revenue sharing or the interpretation of this policy.

- ii) The tribunal shall consist of one member appointed by the Vice-Chancellor, one member nominated by the other party(s) and the Legal Advisor of the University.
- iii) The process of resolving the dispute shall be completed expeditiously and except in unusual circumstances within two months.
- iv) The tribunal of Arbitration shall have power to regulate its own procedure in consonance with principles of natural justice.

15. Miscellaneous

- i) **Amendments:** The University reserves the right to amend these Ordinances at any time as required. The Executive Council upon recommendation by the Intellectual Property Cell may amend these Ordinances.
- ii) **Waivers:** The University may grant a waiver from the provisions of these Ordinances on a case-by-case basis. All waivers must be in writing, supported by reasons and signed by the Vice-Chancellor. Any decision to grant a waiver will take into account the best interest of the University and the facts of the particular situation. Every waiver and reasons for it shall be reported to the Executive Council in its next meeting.
- iii) **Educational Materials:** Educational Materials represent a broad spectrum of copyright works. These materials encompass traditional educational materials such as material for lessons and course material as well as other methods of course delivery such as Internet based learning. The desire of the University is to encourage the development of creative and effective educational tools and media in order to further the University educational goals. Educational materials produced in the normal course will generally be owned by the creator of the educational material. Certain circumstances, may however, give rise to claim of joint ownership by the University. Because all possible circumstances cannot be envisioned by this Ordinance, each particular situation will have to be evaluated on its own facts to determine ownership interests. The University separately follows the norms of creating educational material under its Open Educational Policy.
- iv) **Moral Rights:** The University recognizes the moral rights of the creators of intellectual property and shall endeavor to protect these rights. These include the right of fair attribution of authorship or invention, the need for the work not to be altered in such a way that it harms the reputation of the creator and an opportunity for the creator to be involved in determining the final outcome of his/her labour.
- v) **Logo/Emblem of the University:** The logo/Emblem of the University are the exclusive identity and property of the University and no person shall without prior permission of the University can utilize the logo/emblem of the University for any commercial purpose.

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a long, horizontal, wavy signature. To its right, there are several smaller, more compact signatures and initials, some appearing to be 'M', 'A', and 'G'.



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

Speed Post

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
DISTANCE EDUCATION BUREAU
35-FEROZE SHAH ROAD
NEW DELHI-110 001

20 FEB 2019

Date: February, 2019

F.No.: 17-5/2018 (DEB-I)

The Registrar,
U.P. Rajarshi Tandon Open University
Shantipuram Awasth Yojna (Sec - F)
Phaphamau, Allahabad

Sub: Commission decision on the appeal under sub-regulation (5) of part-II of the University Grants Commission (Open and Distance Learning 2017) Regulations, submitted by HEI for offering programmes in Open and Distance Learning (ODL) mode from academic year 2018-19, session beginning from January, 2019 and onwards - regarding.

Sir/Madam,

This is in continuation to the UGC Orders of even number dated 24th August, 2018, and 02nd November, 2018 wherein the details of programmes recognized for 2018-19 onwards and programmes not recognized were communicated to U.P. Rajarshi Tandon Open University.

2. As per the provisions under sub-regulation (5) of part-II of the University Grants Commission (Open and Distance Learning 2017) Regulations and the decision of the Commission it is 535th meeting held on 27th September, 2018, for the programmes not recognized as per the UGC letter cited in above Para, the Higher Educational Institution had been provided an opportunity to submit an appeal along with requisite fee and documentary evidence, if any within 30 days from the date of the said UGC letter.

3. The appeal along with documents submitted by the U.P. Rajarshi Tandon Open University was placed before duly constituted Standing Appellate Committee in the meeting held on 11th December, 2018, at UGC, 35 Feroze Shah Road, New Delhi. The Standing Appellate Committee based on the appeal submitted alongwith documentary evidence, interaction with the HEI authorities and the provisions of the University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulations, 2017 and its amendments; made recommendations for consideration of the Competent Authority, in accordance to the Commission decision, in its 534th meeting, held on 02.08.2018.

4. Based on the decision of the Competent Authority, I am directed to issue this Order, thereby communicating the decision, on the appeal received, for offering programmes in Open and Distance Learning (ODL) mode from academic year 2018-19, session beginning from January, 2019 and onwards by the U.P. Rajarshi Tandon Open University as detailed in point no. 5 below.

5. Programme wise recognition status based on appeal:
Reversal of earlier decision (Programmes Recognized)

S. No.	Name of the Programme	Period of Recognition (If Applicable)*
1	BACHELOR OF EDUCATION (SPECIAL EDUCATION)	2018-19 To 2022-23
2	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION	(2018-19, session beginning from January, 2019 onwards.)

Lib

3	BACHELOR OF ARTS	2018-19 To 2022-23 (2018-19, session beginning from January, 2019 onwards.)
4	MASTER OF ARTS (URDU)	
5	MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)	
6	MASTER OF ARTS (ECONOMICS)	
7	MASTER OF ARTS (ENGLISH)	
8	MASTER OF ARTS (PHILOSOPHY)	
9	MASTER OF ARTS (STATISTICS)	
10	BACHELOR OF COMMERCE	
11	MASTER OF ARTS (YOGA)	
12	MASTER OF COMMERCE	
13	MASTER OF JOURNALISM	
14	MASTER OF SCIENCE (STATISTICS)	

*According to UGC (ODL) Regulations 2017, Regulations 3, sub-regulation (1) (VIII) shall not be applicable to Open Universities till the time they become eligible for National Assessment and Accreditation Council Accreditation and it shall be mandatory for Open Universities to get National Assessment and Accreditation Council Accreditation within one year of their becoming eligible for the same. The list of recognised Learner Support Centres/Study Centres will be available shortly on UGC website.

5(B) Appeal disposed off for the following programmes (Programmes Not Recognized)

S. No.	Name of the Programme	Reasons
1	MASTER OF ARTS (PUBLIC ADMINISTRATION)	Appeal is disposed off due to Inadequate Faculty as per requirements stipulated in Annexure VI of UGC (ODL) Regulations, 2017

5(C) Decision pending for the programmes:

S. No.	Name of the Programme	Reasons
1	BACHELOR OF SCIENCE (HOME NUTRITION)	Since Practical component is involved, an Expert Committee Visit shall be conducted to verify the lab facilities, before final consideration of the approval.
2	BACHELOR OF SCIENCE	
3	MASTER OF SCIENCE (AGRICULTURE EXTENSION)	
4	MASTER OF ARTS (HOME SCIENCE)	
5	MASTER OF SCIENCE (FOOD AND NUTRITION)	

6. For the programmes recognized in 5 (A) above, the Higher Educational Institution shall scrupulously abide in letter and spirit by all the terms and conditions, while offering the programmes in Open and Distance Learning mode, as per the provisions detailed in Part-III, Part-IV, Part-V, Part-VI and Annexure-I to Annexure-XI of the University Grants Commission (Open & Distance Learning) Regulations, 2017 and its amendments. Some specific conditions given in UGC (ODL) Regulations, 2017 & its amendments are given in **Annexure- 1**.

7. If the HEI fails to comply with the conditions of recognition or if it is found conducting affairs in a manner that leads to deterioration of academic standards, or if any information, documentary evidence submitted/produced by the HEI is found to be false or fake at a later date, UGC shall take action as per Regulation (4) Part -II of UGC (ODL) Regulations, 2017.

8. Higher Educational Institutions are required to comply with all the provisions of the UGC (ODL) Regulations, 2017 and its amendments. If any deviation is noticed, the same would entail not only withdrawal of permission/ recognition for such ODL course but also for other courses offered by the institution, on regular and conventional mode, as directed by MHRD vide letter F. No.2-18/2017-U3 (A) dated 07.10.2018 on the recommendations of

Justice Reddy Committee constituted by MHRD on the directions of Hon'ble Supreme Court dated 03.11.2018 in Civil Appeal No.17869-17870 filed by Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd Versus Rabi Sankar Patro & Ors.

9. **Time limit for completion of admission process for offering ODL programmes by HEIs:**

The Commission in its 537th meeting held on 10.12.2018 has decided the time limit for completion of admission process by the HEIs for offering ODL programmes as mentioned below:


- a) Academic session for January - admission last date February end
b) Academic session for July - admission last date August end

The Commission has also directed that the HEIs shall upload the admission details within ten days from the last date of the admissions in the respective academic session i.e. 10th September for July academic session and 10th March for January academic session. Accordingly, the HEIs shall comply with the above decision of Commission.

10. The application stands closed for the programmes mentioned at 5(B) for 2018-19 and the HEI needs to apply afresh as and when UGC invites application for recognition of ODL programmes.

11. The decision of the Commission shall be final and binding on the Higher Educational Institutions.

Yours faithfully,



(Jitendra)

Education Officer

Copy to:

1. The Secretary, Higher Education, Secretariat, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow - 226 001 with a request to ensure that HEI adheres to all the provisions of the UGC (ODL) Regulations 2017 and its amendments.
2. The Joint Secretary (Distance Learning), MHRD, Govt of India, Shastri Bhawan, New Delhi - 110 001.
3. The Member Secretary, AICTE, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070
4. The Vice-Chancellor, U.P. Rajarshi Tandon Open University, Shantipuram Awasth Yojna (Sec - F), Phaphamau, Allahabad
5. The Joint Secretary, Private University Bureau, UGC.
6. Guard file.


(Jitendra)

Education Officer

Dr. Prakashji/OS.
Dr. Anand Kumar
Dr. Ashwini Gupta
25/02/19.

Conditions

1. The total intake capacity (Number of learners) in Open and Distance Learning mode in Higher Educational Institution and/or Learner Support Centre/Study Centre shall be as mentioned in clause 6 of Annexure-X of the University Grants Commission (Open & Distance Learning) Regulations, 2017.
2. The Higher Educational Institution shall offer only those programmes through Open and Distance Learning mode, which are approved by the statutory bodies of the University and by UGC and by the Regulatory Authority, as applicable.
3. The Higher Educational Institution shall not offer any programme in engineering, Medicine, dental, pharmacy, nursing, architecture, physiotherapy and programmes not permitted to be offered in distance mode by any other regulatory body.
4. The Higher Educational Institution shall comply to all the terms and conditions mentioned in (1) Affidavit dated 01st May, 2018 duly notarized and signed by Prof. (Dr.) Girija Shankar Shukla, Registrar, submitted to the Commission vide letter dated 07th May, 2018 ; and (2) Affidavit dated 17th September, 2018 pertaining to adherence of terms of conditions laid down by AICTE for programmes of MBA/MCA/Travel and Tourism, duly notarized and signed by Dr. Arun Kumar Gupta, Registrar, submitted to the Commission by hand dated 19th September, 2018.
5. The Higher Educational Institution shall not offer any M.Phil/Ph.D Programme through distance learning mode in compliance to clause 11 of the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil. /Ph.D. Degrees) Regulations, 2016.
6. The HEI shall establish Examination Centre within the territorial jurisdiction of the HEI subject to condition laid down in clause 7 (i) to (v) of section 13 in Part-IV.
7. In case, Higher Educational Institution fails to comply with the conditions of recognition, appropriate punitive action(s), as per provisions of the UGC (ODL) Regulations, 2017 and its amendments, shall be taken by the Commission.
8. The U.P. Rajarshi Tandon Open University, Uttar Pradesh shall adhere to the policy of territorial jurisdiction as specified in Annexure - IV of the UGC (ODL) Regulations, 2017.


(Jitendra)
 Education Officer

